अनुक्रम

पैरा सं.	भाग I
2	बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने के लिए ढांचा
2.1	बाह्य वाणिज्यिक उधार [ECB]
2.2	बाह्य वाणिज्यिक उधार के फार्म
2.3	बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने के उपलब्ध मार्ग
2.4	बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए मानदंड
2.4.1	परिपक्वता प्रिस्क्रिप्शन
2.4.2	पात्र उधारकर्ता
2.4.3	मान्यता प्राप्त ऋण दाता
2.4.4	उधार की लागत
2.4.5	अनुमत अंतिम प्रयोजन
2.4.6	वैयक्तिक सीमाएं
2.4.7	उधार की मुद्रा
2.5	प्रतिरक्षा की आवश्यकताएं
2.5.1	[1]प्रतिरक्षा के परिचालन गत पहलू
2.6	बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने के लिए जमानत
2.6.1	अतिरिक्त शर्तें
2.6.1.1	अचल परिसंपत्तियों पर प्रभार पैदा करना
2.6.1.2	चल परिसंपत्तियों पर प्रभार पैदा करना
2.6.1.3	वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार पैदा करना
2.6.1.4	कार्पोरेट और वैयक्तिक गारंटी जारी करना
2.7	भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं आदि द्वारा गारंटियां जारी करना
2.8	ऋण ईक्विटी अनुपात
2.9	बाह्य वाणिज्यिक उधारों की पार्किंग
2.9.1	बाह्य वाणिज्यिक उधारों की राशि की विदेशों में पार्किंग
2.9.2	बाह्य वाणिज्यिक उधारों की राशि को घरेलू स्तर पर पार्क करना
2.10	बाह्य वाणिज्यिक उधारों का ईक्विटी में रूपांतरण
2.10.1	बाह्य वाणिज्यिक उधारों की देयताओं का ईक्विटी में रूपांतरण करने के लिए विनिमय दर
2.11	बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने की क्रियाविधि
2.12	रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं
2.12.1	ऋण रजिस्ट्रेशन संख्या [LRN]
2.12.2	बाह्य वाणिज्यिक उधारों की शर्तों में परिवर्तन
2.12.3	वास्तविक लेन देन की रिपोर्ट करना
2.12.4	बाह्य वाणिज्यिक उधारों को ईक्विटी में रूपांतरित करने के कारण उसकी रिपोर्ट करना
2.13	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड [एफ सी सी बी]

[1] दिनांक 07 नवम्बर 2016 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं. 15 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

2.14	विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड [एफ सी ई बी]
2.15	बाह्य वाणिज्यिक उधारों को पुनर्वित्त प्रदान करना
2.16	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों को बाह्य वाणिज्यिक उधार के मामलों पर कार्रवाई करने की शक्तियां
2.16.1	अतिरिक्त आवश्यकताएं
2.17	जिनकी जांच चल रही है ऐसी संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार
2.18	संयुक्त उधारकर्ता फोरम [JLF] अथवा कार्पोरेट ऋण ढाँचे [CDR] की संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार
2.19	सूचना का प्रसारण
2.20	निदेशों का अनुपालन
2.21	पूर्ववर्ती 5 मिलियन डॉलर योजना के अंतर्गत जुटाये गये बाह्य वाणिज्यिक उधार
2.22	दिनांक 02 दिसंबर 2015 से पहले बाह्य वाणिज्यिक उधार की व्यवस्थाएं
2.22.1	कार्व आउट कंपनियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार

2.22.1.1	एयरलाईन कंपनियों द्वारा कार्यशील पूंजी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार की सुविधा
2.22.1.2	10 बिलियन अमरीकी डॉलर योजना के अंतर्गत निरंतर विदेशी मुद्रा अर्जित करनेवालों को बाह्य वाणिज्यिक उधार की सुविधा
2.22.1.3	कम लागत वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार की सुविधा
2.23	[2]स्टार्ट अप कंपनियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार
2.23.1	पात्रता
2.23.2	परिपक्वता
2.23.3	मान्यता प्राप्त उधार
2.23.4	उधार का स्वरूप
2.23.5	उधार की मुद्रा
2.23.6	राशि
2.23.7	समग्र लागत [All-in-cost]
2.23.8	अंतिम प्रयोजन [End uses]
2.23.9	इक्विटी में रूपांतरण
2.23.10	सुरक्षा / जमानत
2.23.11	कार्पोरेट और वैयक्तिक गारंटी
2.23.12	प्रतिरक्षा / बचाव के उपाय [Hedging]
2.23.13	रूपांतरण की दर
2.23.14	अन्य प्रावधान
3	विदेशों में रुपया मूल्यवर्ग के बॉण्ड जारी करने के लिए ढांचा
3.1	उधार लेने का स्वरूप
3.2	उधार लेने के लिए उपलब्ध मार्ग और उनकी सीमाएं
3.3	रुपया मूल्यवर्ग बॉण्ड के निर्गम से उधर लेने के मानदंड

[2] दिनांक 27 अक्तूबर 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 13 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया |

3.3.1	न्यूनतम परिपक्वता
3.3.2	पात्र उधारकर्ता
3.3.2.1	[3]पात्र उधारकर्ता के रूप में भारतीय बैंक
3.3.3	मान्यता प्राप्त निवेशक
3.3.4	समग्र लागत [All-in-Cost]
3.3.5	प्रयोजन मूलक प्रिस्क्रिप्शन
3.3.6	रूपांतरण के लिए विनिमय दर
3.3.7	बचाव व्यवस्था [Hedging]
3.3.8	लीवरेज अनुपात
3.3.9	रिपोर्टिंग
3.3.10	अन्य प्रावधान
	भाग II
4	विदेशों में जुटायी गयी निधियों को भारत की ओर मोड़ना [routing]
	भाग III
5	व्यापार ऋण के रूप में ऋण जुटाना [Credit]
5.1	व्यापार ऋण
5.2	व्यापार ऋण के मार्ग [Routes] और राशि
5.2.1	स्वचालित मार्ग [रूट] Route
5.2.2	अनुमोदन मार्ग
5.3	परिपक्वता संबंधी प्रिस्क्रिप्शन
5.4	व्यापार ऋण लेने की लागत
5.5	व्यापार ऋण के लिए गारंटी
5.6	रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं
5.6.1	मासिक रिपोर्टिंग
5.6.2	त्रैमासिक रिपोर्टिंग
	भाग IV
6	प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेना और ऋण देना
6.1	प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार
6.2	प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा में ऋण
	भाग V
7	प्राधिकृत व्यापारियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों द्वारा उधार और ऋण देना
7.1	प्राधिकृत व्यापारियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेना
7.2	प्राधिकृत व्यापारियों से इतर व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में ऋण
	भाग VI
8	ढांचागत [स्ट्रक्चर्ड] दायित्व Structured Obligations

[3] दिनांक 03 नवम्बर 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 14 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया |

8.1	घरेलू निधि आधारित और गैर निधि आधारित सुविधाओं के लिए अनिवासी गारंटियां
8.2	ऋण वृद्धि की सुविधा
	इस मास्टर निदेश में समेकित अधिसूचनाओं / परिपत्रों की सूची

संक्षेपाक्षर

AD	प्राधिकृत व्यापारी
ADB	एशियाई विकास बैंक
AFC	परिसंपत्ति वित्त कंपनी
AIC	समग्र लागत [All-in-Cost]
AMP	औसत परिपक्वता अवधि
BSE	मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज
CDC	कॉमनवेल्थ विकास निगम
CIC	कोर निवेश कंपनी
COD	वाणिज्यिक परिचालन की तारीख
DEPR	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
DSIM	सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
DTA	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ECB	बाह्य वाणिज्यिक उधार
FATF	वित्तीय कार्रवाई कार्य दल
FCCB	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड
FCEB	विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड
FCNR(B)	विदेशी मुद्रा अनिवासी [बैंक]
FED	विदेशी मुद्रा विभाग
FDI	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
FEMA	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
FIPB	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड
HFC	आवास वित्त कंपनी
IDC	निर्माण के दौरान ब्याज
IFC	बुनियादी सुविधा वित्त योजना
INR	भारतीय रुपया
JV	संयुक्त उपक्रम
LC	साख पत्र
LIBOR	लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर
LoC	लेटर ऑफ कम्फर्ट
LoU	वचन पत्र
LRN	ऋण रजिस्ट्रेशन संख्या

MFI	सूक्ष्म वित्त संस्था
NBFC	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
NGO	गैर सरकारी संगठन
NHB	राष्ट्रीय आवास बैंक
NMIZ	राष्ट्रीय उत्पादन निवेश क्षेत्र
NNPA	निवल अनर्जक परिसंपत्तियां
NOF	निवल स्वामित्ववाली निधियां
NRE	अनिवासी बाहरी
NSE	राष्ट्रीय स्टॉक एक्स्चेंज
NRO	अनिवासी साधारण
OCB	विदेशी कार्पोरेट निकाय
ODI	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
RBI	भारतीय रिज़र्व बैंक
RoC	कंपनियों का पंजीकरण
SEZ	विशेष आर्थिक क्षेत्र
SHG	स्वयं सहायता समूह
SIDBI	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SME	लघु और मध्यम उद्योग
SPV	विशेष प्रयोजन वाहन
USD	अमरीकी डॉलर
WOS	पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था

मास्टर निदेश - बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण, प्राधिकृत व्यापारियों तथा प्राधिकृत व्यापारियों से ईतर व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेना और ऋण देना

1. मास्टर निदेश में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली

1.1 'समग्र लागत' [All-in-Cost] शब्द में ब्याज दर, अन्य शुल्क, व्यय, प्रभार, गारंटी शुल्क, फिर वे विदेशी मुद्रा में अथवा भारतीय रुपयों में ही क्यों न अदा किया गया हो, शामिल है | लेकिन इसमें वायदा शुल्क, भुगतान पूर्व शुल्क / प्रभार, भारतीय रुपयों में देय कर को रोक रखना शामिल नहीं है | निश्चित दर पर ऋणों के मामले में ऋण की अदला-बदली [स्वैप] और उसका फैलाव [स्प्रेड] फ्लोटिंग दर और लागू स्प्रेड जितना होना चाहिए |

1.2 **'**नजदीकी रिश्तेदार' का अर्थ है ऐसा रिश्तेदार जिसकी परिभाषा कंपनी अधिनियम 1956 / 2013 में दी गयी है :

1956 का अधिनियम	**2013** का अधिनियम
धारा 6: " रिश्तेदार का अर्थ " किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का रिश्तेदार तभी और केवल तभी माना जाएगा जब क) वे अविभक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं ; अथवा ख) वे पति और पत्नी हैं; अथवा ग) अनुसूची IA में दर्शाये गये अनुसार एक दूसरे से दूसरे से जुड़े है	धारा 2(77)किसी भी व्यक्ति के सन्दर्भ में ''रिश्तेदार'', का अर्थ है कोई भी जो किसी से भी जुडा हो, जब— (i) वे अविभक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं; (ii) वे पति और पत्नी हैं; अथवा (iii) एक व्यक्ति दूसरे से इस प्रकार से, जिसे निर्धारित किया जा सकता है; जुडा है
अनुसूची I ए	**यथा निर्धारित**
पिता	पिता [सौतेले पिता सहित]
माता [सौतेली माता सहित]	माता [सौतेली माता सहित]
पुत्र [सौतेले पुत्र सहित]	पुत्र [सौतेले पुत्र सहित]
पुत्र की पत्नी	पुत्र की पत्नी
पुत्री [सौतेली पुत्री सहित]	पुत्री
पिता के पिता	पुत्री का पति
पिता की माता	भाई [सौतेले भाईयों सहित]
माता की माता	बहन [सौतेली बहन सहित]
माता के पिता	-
पुत्र का पुत्र	-

पुत्र के पुत्र की पत्नी	-
पुत्र की पुत्री	-
1956 का अधिनियम	**2013 का अधिनियम**
पुत्र की पुत्री का पति	-
पुत्री का पति	-
पुत्री का पुत्र	-
पुत्री के पुत्र की पत्नी	-
पुत्री की पुत्री	-
पुत्री की पुत्री का पति	-
भाई [सौतेले भाईयों सहित]	-
भाई की पत्नी	-
बहन [सौतेली बहन सहित]	-
बहन का पति	-

1.3 जब तक कि परिप्रेक्ष्य में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, 'प्राधिकृत व्यापारी', 'प्राधिकृत बैंक', 'अनिवासी भारतीय [एनआरआई]', 'भारतीय मूल के व्यक्ति [पीआईओ]', 'एनआरआई खाता', 'एनआरएनआर खाता', 'एनआरएसआर खाता', और 'विदेशी मुद्रा अनिवासी [बी]' जैसी शब्दावली का अर्थ वही होगा जो दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5 / 2000 आरबी के जरिये यथा सूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन [जमाराशियां] विनियमावली, 2000 में परिभाषित किया गया है |

1.4 'नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक' शब्दावली का अर्थ वह बैंक शाखा है जिसे बाह्य वाणिज्यिक उधार लेनेवाले उधारकर्ता ने भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त करने के साथ रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं को पूरा करने, इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के निष्पादन और बाह्य वाणिज्यिक उधार के लेनदेनों पर निगरानी करने के लिए नामित किया है |

1.5 'विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड' [एफसीसीबी] शब्दावली का अर्थ है, विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के ऐसे लिखत जो समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड और सामान्य शेयर्स [जमा रसीदों प्रणाली के माध्यम से] का निर्गम योजना, 1993, के अनुसार जारी किये गये हैं |

1.6 'विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड' [एफसीईबी] शब्दावली का अर्थ है विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के ऐसे लिखत जो विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड का निर्गम योजना, 2008 के अनुसार जारी किये गये हैं |

1.7 'विदेशी इक्विटी धारक' शब्दावली का अर्थ है, [क] उधारकर्ता कंपनी में ऋण दाता की न्यूनतम 25 प्रतिशत शेयर धारिता वाला प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी धारक, [ख] न्यूनतम 51 प्रतिशत की अप्रत्यक्ष इक्विटी धारण करने वाला अप्रत्यक्ष इक्विटि धारक, और [ग] एक ही विदेशी मालिक वाली कंपनियों का समूह।

1.8 'बुनियादी सुविधा क्षेत्र' शब्दावली का अर्थ वही होगा जो दिनांक 27 मार्च 2012 की समय-समय पर यथा संशोधित तथा अद्यतन की गयी अधिसूचना एफ.सं. 13 / 06 / 2009 - आईएनएफ के जरिये भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बुनियादी सुविधा उप क्षेत्रों की हारमोनाईज्ड मास्टर सूची में दिया गया है | [4]बाह्य वाणिज्यिक उधारों के प्रयोजन के लिए, "अन्वेषण, खनन और रिफायनरी" क्षेत्रों को, जिन्हें हारमोनाईज्ड मास्टर सूची में शामिल नहीं किया गया है लेकिन जो पिछले बाह्य वाणिज्यिक उधारों के ढाँचे में बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र है, उन्हें बुनियादी सुविधा क्षेत्र माना जाएगा | [देखें: दिनांक 18 सितम्बर 2013 का एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं. 48.

1.9 'भारत के निवासी व्यक्ति' और 'भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति' शब्दावली का अर्थ वही होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 [फेमा] की धारा 2(v) and 2(w) में परिभाषित किया गया है.

1.10 'आरएफसी खाता' शब्द का अर्थ वही होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन [भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा खोला गया विदेशी मुद्रा खाता] विनियमावली, 2000 में दिया गया है |

1.11 'भारतीय संस्था' शब्द का अर्थ कोई कंपनी अथवा कोई कार्पोरेट निकाय अथवा भारत की कोई कंपनी होगा |

1.12 'विदेशों में संयुक्त उद्यम' शब्दावली का अर्थ है किसी देश के कानून और उसकी विनियमावली के अनुसार उस देश में बनायी गयी, रजिस्टर अथवा निगमित की गयी कोई विदेशी कंपनी जिसमें भारत की किसी कंपनी ने निवेश किया हो |

1.13 'विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली उप संस्था' शब्दावली का अर्थ है किसी देश के कानून और उसकी विनियमावली के अनुसार उस देश में बनायी गयी, रजिस्टर अथवा निगमित की गयी कोई विदेशी कंपनी जिसमें लगायी गयी पूरी पूंजी भारत की कंपनी के स्वामित्ववाली हो |

[4] दिनांक 30 मार्च 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 56 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

2. बाह्य वाणिज्यिक उधारों के माध्यम से ऋण जुटाने के लिए ढांचा

2.1 बाह्य वाणिज्यिक उधार [ईसीबी]

बाह्य वाणिज्यिक उधार का अर्थ है पात्र निवासी कंपनियों द्वारा अनिवासी कंपनियों से जुटाये गये वाणिज्यिक ऋण | ऐसे ऋण न्यूनतम परिपक्वता अवधि, अनुमत और अनुमति न दिये गये अंतिम उपयोग, अधिकतम समग्र लागत [all-in-cost] की उच्चतम सीमा आदि जैसे मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए | ये मानदंड समग्र रूप से लागू होते हैं, और वे अलग-अलग रूप से लागू नहीं होते | बाह्य वाणिज्यिक उधारों के माध्यम से जुटाये गये ऋण में [इसके बाद ईसीबी ढाँचे के रूप में उल्लिखित] निम्नलिखित तीन ट्रैक शामिल हैं :

ट्रैक I : विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मध्यावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार [ईसीबी] जिनकी परिपक्वता अवधि 3 से 5 वर्षों तक है |

ट्रैक II : विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार [ईसीबी] जिनकी औसत परिपक्वता अवधि 10 वर्ष है |

ट्रैक III : भारतीय रुपयों में मूल्यवर्गित बाह्य वाणिज्यिक उधार [ईसीबी] जिनकी औसत परिपक्वता अवधि 3 से 5 वर्षों तक है |

2.2 बाह्य वाणिज्यिक उधार [ईसीबी] के प्रकार: बाह्य वाणिज्यिक उधार [ईसीबी] का ढांचा अनुमत निवासी कंपनियों को मान्यताप्राप्त अनिवासी कंपनियों से निम्नलिखित रूप में ऋण लेना संभव बनाता है:

i. बैंक ऋणों सहित अन्य ऋण ;

ii. प्रतिभूतिकृत लिखत [जैसे परिवर्तनीय [फ्लोटिंग] दर के नोट और निश्चित दर बॉन्ड, अपरिवर्तनीय, वैकल्पिक रूप से अथवा अंशत: परिवर्तनीय अधिमान्य [preference] शेयर्स अथवा डिबेंचर्स];

iii. खरीदारों का उधार;

iv. आपूर्तिकर्ताओं का उधार;

v. विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड [FCCBs];

vi. वित्तीय पट्टेदारी; और

vii. विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड [FCEBs]

[5]तथापि, ईसीबी का ढांचा रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों [RFPIs] द्वारा भारत में अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में किये गये निवेशों पर लागू नहीं होगा |

2.3 बाह्य वाणिज्यिक उधार [ईसीबी] जुटाने के लिए उपलब्ध मार्ग: बाह्य वाणिज्यिक उधार के ढाँचे के भीतर स्वचालित मार्ग से अथवा अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाये जा सकते हैं। स्वचालित मार्ग से ऐसे उधार जुटाने के मामलों की प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक [एडी श्रेणी-I बैंक] जांच करेंगे | अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत संभाव्य उधारकर्ताओं को अपने प्राधिकृत व्यापारी [एडी] बैंकों के माध्यम से अपने अनुरोध भा.रि.बैंक के पास जांच के लिए भेजने पड़ते हैं | इस संबंध में विनियामक प्रावधान लगभग एक समान ही हैं, लेकिन राशि उधार लेने के स्वरूप में, उधारकर्ताओं की पात्रता, अनुमत अंतिम उपयोग आदि के बारे में दोनों ही मार्गों में कुछ अंतर जरूर है| जहां उपर्युक्त 2.2 में उल्लेख किये गये पहले छः स्वरूप का ऋण स्वचालित और अनुमोदित, दोनों ही मार्गों से जुटाया जा सकता है, वहीं विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड [FCEBs] केवल अनुमोदन मार्ग से ही जुटाये जा सकते हैं ।

2.4 बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने के लिए मानदंड: ईसीबी ढांचे के अंतर्गत विदेशी वाणिज्यिक उधार जुटाने के लिए विभिन्न मानदडों का नीचे दिये गये उप पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है :

2.4.1 न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि: उल्लिखित तीन ट्रैकों के लिए न्यूनतम परिपक्वता अवधि निम्नानुसार तय की गयी है :

ट्रैक I	ट्रैक II	ट्रैक III
i. 50 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि तक के ईसीबी के लिए 3 वर्ष ii. 50 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक ईसीबी के लिए 5 वर्ष iii. [6]पात्र उधारकर्ताओं के लिए पैरा 2.4.2.vi के	10 वर्ष, भले ही उसकी राशि कितनी ही क्यों न हो	ट्रैक I की तरह ही

[5] दिनांक 30 मार्च 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 56 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[6] दिनांक 30 मार्च 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 56 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

अंतर्गत, 5 वर्ष, भले ही, उधार ली गयी राशि कितनी ही क्यों न हो iv. [7] विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों [एफसीसीबी] / विदेशी मुद्रा विनिमेय बांडों के लिए 5 वर्ष [एफसीईबी] भले ही, उधार ली गयी राशि कितनी ही क्यों न हो | एफसीसीबी के लिए यदि कोई कॉल और पुट विकल्प उपलब्ध हो, तो 5 वर्षों तक उनका उपयोग नहीं किया जाना है |		

2.4.2 पात्र उधारकर्ता: उपर्युक्त तीनों ही ट्रैकों के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने के लिए पात्र कंपनियों की सूची नीचे की तालिका में दी गयी है :

ट्रैक I	ट्रैक II	ट्रैक III
i. उत्पादन और सॉफ्ट वेयर विकास क्षेत्र की कंपनियां ii. शिपिंग और एयरलाईन कंपनियां iii. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक [SIDBI] iv. विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनिट [SEZs] v. भारतीय निर्यात आयात बैंक [Exim Bank] [केवल अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत] vi. [8]बुनियादी सुविधा क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया, बुनियादी सुविधा वित्त कंपनियां [NBFCIFCs], एन बी एफ सी परिसंपत्ति वित्त कंपनिया [NBFC-AFCs],	i. ट्रैक I के अंतर्गत सूची बद्ध सभी कंपनियां ii. [10] रियल इस्टेट निवेश न्यास [REITs] और बुनियादी सुविधा निवेश न्यास [INVITs] जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सेबी] के विनियामक ढाँचे के अंतर्गत आती हैं	i. ट्रैक II के अंतर्गत सूची बद्ध सभी कंपनियां ii. रिज़र्व बैंक की परिधि में आनेवाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां [NBFCs] [11] iii. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - सूक्ष्म वित्त संस्थाएं [NBFCsMFIs] कंपनी अधिनियम 1956 / 2013 के अंतर्गत रजिस्टर की गयी कंपनियां जो लाभ पानेवाली नहीं हैं, समितियां और न्यास और सहकारी समितियां [क्रमश: सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 और राज्य स्तरीय सहकारिता अधिनियम /

[7] दिनांक 30 मार्च 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 56 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया
[8] दिनांक 30 मार्च 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 56 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

होल्डिंग्ज कंपनियां और कोर निवेश कंपनियां [CICs]। [9]साथ ही राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित आवास वित्त कंपनियाँ, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 अथवा भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत गठित पत्तन न्यास भी।		बहुस्तरीय सहकारिता अधिनियम / राज्य स्तरीय पारस्परिक एडेड सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर की गयी], गैर सरकारी संगठन जो सूक्ष्म वित्त गतिविधियों में लगी हुई हैं[1].
		iv. ऐसी कंपनियां जो विविध सेवाओं में लगी हुई हैं जैसे अनुसंधान और विकास [R&D], प्रशिक्षण [शैक्षिक संस्थाओं को छोड़ कर], बुनियादी सुविधाओं का समर्थन करनेवाली कंपनियां लोजिस्टिक सेवाएं देनेवाली कंपनियां। [12]साथ ही रखरखाव, मरम्मत तथा जांच तथा मरम्मत (ओवरहौल) तथा माल भेजने का कारोबार करनेवाली कंपनियाँ भी।
		v. विशेष आर्थिक क्षेत्रों [SEZs]/ और निवेश क्षेत्रों का निवास [NMIZs]

टिप्पणियां:

1. सूक्ष्म वित्त गतिविधियों में लगी हुई कंपनियां ईसीबी जुटाने के लिए पात्र होंगी (i) *उनका भारत के किसी एडी श्रेणी I - बैंक के साथ न्यूनतम तीन वर्षों का उधार लेने संबंधी संतोषजनक रिश्ता होना चाहिए, और* (ii) *उनके पास एडी श्रेणी* I - *बैंक द्वारा जारी यथोचित सावधाने के बारे में* 'fit and proper' *स्टेटस भी होना चाहिए /*

[10] दिनांक 30 मार्च 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 56 के जरिये ट्रैक I में अंतरित किया गया / उसका भाग बनाया गया | परिणामत: ट्रैक II पॉइंट 2 के अंतर्गत अर्थात (ii) बुनियादी सुविधा क्षेत्र की कंपनियां (iii) होल्डिंग कंपनियाँ और (iv) कोर निवेश कंपनियां [सीआईसी] भी हटायी गयी हैं |
दिनांक 30 मार्च 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 56 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[11] दिनांक 30 मार्च 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 56 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[9] दिनांक 27 अप्रैल 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 25 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[12] दिनांक 27 अप्रैल 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 25 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

2.4.3 मान्यता प्राप्त ऋणदाता / निवेशक: तीनों ट्रैकों के मान्यता प्राप्त ऋणदाता / निवेशकों की सूची निम्नानुसार है:

ट्रैक I	ट्रैक II	ट्रैक III
i. अंतर्राष्ट्रीय बैंक ii. अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार iii. बहुविध वित्तीय संस्थाएं [जैसे आईएफसी, एडीबी, आदि] / क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं और सरकारी स्वामित्व वाली [या तो पूर्णत: अथवा अंशत:] वित्तीय संस्थाएं iv. निर्यात ऋण संस्थाएं v. औजारों के आपूर्तिकर्ता vi. विदेशी इक्विटी धारक vii. विदेशी दीर्घावधि निवेशक जैसे ए. प्रुडेंशियली विनियमित वित्तीय सेवाएं ; b. पेंशन निधियां ; c. बीमा कंपनियां ; d. सोवारिन वेल्थ फंड; e. वित्तीय संस्थाएं जो भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में स्थित हैं viii. भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं /उपशाखाएँ[2]	भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / उप शाखाओं को छोड़कर ट्रैक I में उल्लिखित सभी संस्थाएं	भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / उप शाखाओं को छोड़कर ट्रैक I में उल्लिखित सभी संस्थाएं	गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं - सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, अन्य पात्र सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, लाभ न कमानेवाली संस्थाएं और गैर सरकारी संगठनों, के मामले में विदेशी वाणिज्यिक उधार विदेशी संगठनों[3] तथा व्यक्तियों[4] से भी पाये जा सकते हैं	

टिप्पणियां:

2. भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं / उप शाखाएं केवल ट्रैक I के अंतर्गत ही ऋण दाता हो सकती हैं | साथ ही, इस ट्रैक I के अंतर्गत उनकी सहभागिता केवल भा.रि.बैंक के बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा जारी किये जानेवाले विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगी |[13]

3. बाह्य वाणिज्यिक उधार देने का प्रस्ताव करनेवाले विदेशी संगठनों को उधारकर्ता के प्राधिकृत व्यापारी बैंक को यथोचित सावधानी लिये जाने के सन्दर्भ में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो मेजबान देश के विनियामकों की विनियमावली की शर्तों के अधीन होगा और ऐसा मेजबान देश एंटी मनी लौन्डरिंग पर वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (FATF) *संबंधी दिशानिर्देश और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिकार संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करता है | यथोचित सावधानी संबंधी प्रमाणपत्र में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए:* (i) *ऋण दाता का उस बैंक के पास कम से कम दो वर्षों के लिए खाता होना चाहिए* (ii) *ऋण देनेवाली कंपनी क़ानून के हिसाब से सुव्यवस्थित होनी चाहिए और कारोबारी /स्थानीय*

[13] दिनांक 4 जनवरी 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 15 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

जनता में वह सम्मानजनक संस्था के रूप में परिचित होनी चाहिए और iii) *उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए |*

4. वैयक्तिक ऋण दाता को विदेशी बैंक से यथोचित सावधानी बरतने संबंधी एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए जिसमें यह दर्शाया हो कि उधारकर्ता का उस बैंक के पास कम से कम दो वर्षों से खाता है | अन्य सबूत / दस्तावेज,जैसे लेखा परीक्षित खाता विवरण, आयकर विवरण, जो वह विदेशी ऋण दाता प्रस्तुत करेगा उसको विदेशी बैंक द्वारा प्रमाणित करते हुए भेजा जाना चाहिए | जो देश ए एम् एल / सी एफ टी पर एफ ए टी एफ के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं उन देशों के वैयक्तिक ऋण दाता बाह्य वाणिज्यिक उधार देने के पात्र नहीं होंगे |

2.4.4 समग्र लागत (AIC): तीनों ही ट्रैकों के लिए समग्र लागत निम्नानुसार होगी:

ट्रैक I	**ट्रैक II**	**ट्रैक III**
i. [14] समग्र लागत की उच्चतम सीमा बेंचमार्क के ऊपर एक स्प्रेड के माध्यम से निर्धारित की गयी है, अर्थात 6 माह के लिबोर अथवा संबंधित मुद्रा के लिए लागू बेंच मार्क दर से 450 बेसिस पॉइंट अधिक प्रतिवर्ष a. तीन से पांच वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले ईसीबी के लिए - b. पांच वर्षों से अधिक परिपक्वता अवधि वाले ईसीबी के लिए- 6 माह के लिबोर से 450 बेसिस पॉइंट अधिक प्रतिवर्ष अथवा संबंधित मुद्रा के लिए लागू बेंच मार्क ii. चूक के लिए अथवा प्रसंविदा [covenants] के उल्लंघन के लिए यदि कोई दंडात्मक ब्याज लगाया गया हो तो वह संविदाकृत ब्याज दर के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए |	i. [15]6 माह के लिबोर के बेंचमार्क अथवा संबंधित मुद्रा के लिए लागू बेंच मार्क दर के ऊपर अधिकतम 450 बेसिस पॉइंट प्रति वर्ष का स्प्रेड होगा | ii) शेष शर्तें ट्रैक I की शर्तों में दिए गए अनुसार होंगी.	[16] तदनुरूपी परिपक्वता की भारत सरकार की प्रतिभूतियों के लिए प्रचलित प्रतिफल के ऊपर अधिकतम 450 बेसिस पॉइंट प्रति वर्ष का स्प्रेड होगा ii) ट्रैक I के समान

[14] दिनांक 27 अप्रैल 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 25 के जरिये आशोधित किया गया। आशोधन से पूर्व इसे 'समग्र लागत की उच्चतम सीमा बेंचमार्क के ऊपर एक स्प्रेड के माध्यम से निम्नानुसार निर्धारित की गयी है, ए) तीन से पांच वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले ईसीबी के लिए 6 माह के लिबोर अथवा संबंधित मुद्रा के लिए लागू बेंच मार्क दर से 300 बेसिस पॉइंट अधिक प्रतिवर्ष बी) पांच वर्षों से अधिक परिपक्वता अवधि वाले ईसीबी के लिए- 6 माह के लिबोर अथवा संबंधित मुद्रा के लिए लागू बेंच मार्क से 450 बेसिस पॉइंट अधिक प्रतिवर्ष ' पढ़ा जाता था।

[15] दिनांक 27 अप्रैल 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 25 के जरिये आशोधित किया गया। आशोधन से पूर्व इसे "बेंचमार्क के ऊपर अधिकतम 500 बेसिस पॉइंट प्रति वर्ष का स्प्रेड होगा" पढ़ा जाता है।

[16] दिनांक 27 अप्रैल 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 25 के जरिये आशोधित किया गया। आशोधन से पूर्व इसे "समग्र लागत बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए" पढ़ा जाता था।

2.4.5 अंतिम उपयोग प्रिस्क्रिप्शन: तीन ट्रैकों में जुटाये गये ईसीबी के लिए अंतिम उपयोग प्रिस्क्रिप्शन [17]नीचे दिये गये है:

सभी ट्रैक्स के लिए नकारात्मक सूची में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

ए) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बुनियादी सुविधाएं उप- क्षेत्र की सुसंगत मास्टर सूची में परिभाषित किए गए अनुसार वहन करने योग्य आवास, एसईज़ेड तथा औद्योगिक पार्क/ इंटिग्रेटेड टाउनशिप का निर्माण एवं विकास के लिए किए गए उपयोग को छोड़कर स्थावर संपदा में निवेश अथवा भूमि की खरीद करने की अनुमति नहीं है।

बी) पूंजी बाज़ार में निवेश

सी) इक्विटि निवेश

जब ईसीबी को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष इक्विटि धारकों अथवा किसी समूह कंपनी से जुटाया गया हो तथा इस शर्त पर कि ऋण पांच वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता के लिए है, ऐसे मामलों को छोड़कर, ट्रैक I तथा III के लिए अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित नकारात्मक/ प्रतिबंधित अंतिम उपयोग भी लागू होंगे:

डी) कार्यशील पूंजी प्रयोजन

ई) सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजन

एफ़) रुपया ऋणों की चुकौती

अंततः सभी ट्रैक्स पर निम्नलिखित नकारात्मक/ प्रतिबंधात्मक अंतिम उपयोग भी लागू होंगे:

जी) ए) से एफ़) तक के उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए संस्थाओं को आगे उधार देना।

18

[17] दिनांक 27 अप्रैल 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 25 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[18] दिनांक 27 अप्रैल 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 25 के जरिये हटाया गया। हटाने से पूर्व उसमें निम्नलिखित सारणी थी।

ट्रैक I	ट्रैक II	ट्रैक III
i. ईसीबी से प्राप्त राशियाँ निम्नलिखित रूप में पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग में लायी जा सकती हैं : a. सेवाओं के आयात के लिए किये गये भुगतान सहित पूंजीगत वस्तुओं का आयात, तकनीकी जानकारी और लाईसेंस शुल्क, बशर्ते वे इन पूंजीगत वस्तुओं का ही भाग हो; b. स्थानीय स्तर पर पूंजी वस्तुओं को जुटाने के लिए; c. नयी परियोजना; d. मौजूदा यूनिटों के आधुनिकीकरण / विस्तार के लिए; e. संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्ववाली उप संस्थाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए; f. भारत सरकार के विनिवेश के कार्यक्रम के अंतर्गत विनिवेश के किसी भी स्तर पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर प्राप्त करने के लिए; g. पूंजीगत वस्तुएँ आयात करने के लिए जुटाये गए मौजूदा व्यापार ऋण के पुनर्वित्त के लिए; h. पहले ही लदान किये गये / आयात किये गये लेकिन भुगतान न की गयी पूंजीगत वस्तुओं का भुगतान करने के लिए; i. मौजूदा ईसीबी को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए; बशर्ते उसकी शेष परिपक्वता अवधि कम नहीं की गयी हो ii. सिडबी केवल सूक्ष्म छोटे और मध्यम उद्यमो [एम्एसएमई] को आगे उधार देने के प्रयोजन के लिए ईसीबी जुटा सकता है, जहां एम्एसएमई क्षेत्र समय-समय पर यथा संशोधित एम्एसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत यथा परिभाषित है |. iii. एस ई जेड के यूनिट केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए ही ईसीबी जुटा सकते हैं iv. शिपिंग और एयरलाईन कंपनियां क्रमश: वेसल्स और एयरक्राफ्ट का आयात करने के लिए ही ईसीबी का उपयोग कर सकती हैं[5] । v. ईसीबी की राशि का उपयोग सामान्य कार्पोरेट प्रयोजनों के लिए [कार्यशील पूंजी सहित] किया जा सकता है बशर्ते, वह ईसीबी प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष इक्विटी धारक से अथवा किसी कंपनी समूह से न्यूनतम औसत 5 वर्षों की परिपक्वता अवधि के लिए जुटायी गयी हो| vi. एनबीएफसी -आईएफसी और एनबीएफसी-एएफसी केवल बुनियादी सुविधाओं का वित्तपोषण करने के लिए ही ईसीबी जुटा सकती हैं | vii. होल्डिंग कंपनियां और सीआईसी केवल बुनियादी सुविधा विशेष प्रयोजन वेहिकल्स [एसपीवी] का वित्त पोषण करने के लिए ही ईसीबी उधार जुटा सकती हैं। viii. निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ईसीबी के बारे में केवल अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत ही विचार किया जाएगा: (A) विदेश व्यापार महानिदेशालय [डीजीएफटी] के दिशानिर्देशों के अनुसार सेकण्ड हैण्ड सामान के आयात के लिए; (B) एग्जिम बैंक द्वारा आगे ऋण देने दिये जाने के लिए	1. ईसीबी से प्राप्त राशियाँ निम्नलिखित को छोड़ कर अन्य सभी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा सकती हैं: i. रियल एस्टेट की गतिविधियाँ ii. पूंजी बाजार में निवेश iii. उस राशि का घरेलू स्तर पर इक्विटी निवेश के लिए उपयोग करना iv. उपर्युक्त में से किसी एक उद्देश्य वाली अन्य कंपनियों को आगे वित्तपोषण करने के प्रयोजन से; v. जमीन की खरीद के लिए	एनबीएफसी ईसीबी की राशियों का उपयोग केवल निम्नलिखित बातों के लिए कर सकती हैं: a. भा.रि.बैंक के संबंधित विनियामक विभाग द्वारा अनुमत बुनियादी सुविधा क्षेत्र सहित किसी भी गतिविधि को ऋण देने के लिए; b. पूंजीगत वस्तुएँ और अन्य औजार ख़रीदने के लिए घरेलू संस्थाओं को दृष्टिबंधक ऋण प्रदान करने के लिए; और c. घरेलू कंपनियों को पट्टे और हायर परचेज के रूप में पूंजीगत वस्तुएँ और औजार उपलब्ध कराने के लिए 2. एस ई जेड / एन एम् आई जेड के विकासक केवल एस ई जेड / एन एम् आई जेड में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ईसीबी जुटा सकते हैं | 3. एनबीएफसी-एम्एफआई, अन्य पात्र एम्एफआई, गैर सरकारी संगठन और कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड लाभ अर्जित न करने के लिए बनी हुई कंपनियां, स्वसहायता समूहों के लिए अथवा क्षमता निर्माण 4. सहित प्रामाणिक सूक्ष्म वित्त गतिविधियों के लिए ऋण देने के उद्देश्य से ईसीबी जुटा सकती हैं. 5. इस ट्रैक के अंतर्गत अन्य पात्र संस्थाएं निम्नलिखित बातों को छोड़ कर अन्य सभी प्रयोजनों के लिए ईसीबी का उपयोग कर सकती हैं: i. रियल इस्टेट की गतिविधियाँ ii. पूंजी बाजार में निवेश iii. उस राशि का घरेलू स्तर पर इक्विटी निवेश के लिए उपयोग करना iv. उपर्युक्त में से किसी एक उद्देश्य वाली अन्य कंपनियों को आगे वित्तपोषण करने के प्रयोजन से; v. भूमि खरीदने के लिए

2.4.6 वैयक्तिक् सीमाएं: वैयक्तिक् सीमाएं ईसीबी की वह राशि है जो स्वचालित मार्ग के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष में जुटायी जा सकती हैं |

i. ईसीबी की वैयक्तिक सीमाएं जो सभी तीनों ही ट्रैकों के लिए स्वचालित मार्ग से प्रति वित्तीय वर्ष में पात्र संस्थाओं द्वारा जुटायी जा सकती हैं, उनका निर्धारण नीचे के पैराग्राफों में किया गया है :

a. बुनियादी सुविधा और उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों,[19]गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बुनियादी सुविधा वित्त कंपनियां (NBFC-IFCs), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की परिसंपत्ति वित्त कंपनियों, होल्डिंग कंपनियों और कोर निवेश कंपनियों के लिए 750 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि तक;

b. सॉफ्टवेयर विकास क्षेत्र की कंपनियों के लिए 200 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि तक;

c. सूक्ष्म वित्त गतिविधियों में लगी हुई संस्थाओं के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि तक; और

d. शेष संस्थाओं के लिए 500 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि तक

ii. उपर्युक्त सीमाओं से अधिक राशि के लिए प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत आयेंगे | ट्रैक III के अंतर्गत वैयक्तिक सीमाओं की गणना करने के लिए करार की तारीख को लागू विनिमय दर को हिसाब में लिया जाना चाहिये |

iii. यदि किसी प्रत्यक्ष इक्विटी धारक से ईसीबी जुटायी गयी है, तो ईसीबी की उपरोल्लिखित सीमाएं भी ईसीबी की देयताएं: इक्विटी अनुपात[6] अपेक्षाओं के भीतर होगी | [20]स्वचालित मार्ग से जुटायी गयी ईसीबी के लिए विदेशी ईक्विटी धारक के प्रति उधारकर्ता की देयता [प्रस्तावित ईसीबी सहित सभी बकाया ईसीबी], विदेशी ईक्विटी धारक द्वारा इक्विटी में दिये गये योगदान की राशि के [21]सात गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए | [22]यदि किसी संस्था द्वारा जुटायी गयी कुल ईसीबी 5 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि तक हो तो यह अनुपात लागू नहीं होगा.

---

[19] दिनांक 30 मार्च 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 56 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[20] दिनांक 27 अप्रैल 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 25 के जरिये हटाया गया।

[21] दिनांक 27 अप्रैल 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 25 के जरिये आशोधित किया गया। आशोधन से पूर्व इसे "चार" पढ़ा जाता था।

[22] दिनांक 27 अप्रैल 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 25 के जरिये हटाया गया।

टिप्पणियाँ

6. ईसीबी देयता के प्रयोजन के लिए : अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार, इक्विटी अनुपात, प्रदत्त पूंजी, निर्बंध आरक्षित निधियाँ, [विदेशी मुद्रा में प्राप्त शेयर प्रीमियम सहित] को विदेशी इक्विटी धारक की `इक्विटी' की गणना करने के लिए हिसाब में लिया जाना चाहिए | जब उधारकर्ता कंपनी में एक से अधिक विदेशी इक्विटी धारक हों तो संबंधित ऋण दाता [दाताओं] द्वारा विदेशी मुद्रा में लाये गये शेयर प्रीमियम का हिस्सा ही इस अनुपात की गणना करने के लिए विचार में लिया जाएगा |

2.4.7 उधार की मुद्रा: ईसीबी मुक्तरूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में तथा साथ ही, भारतीय रुपयों में भी जुटायी जा सकती है | आगे के ब्योरे नीचे दिये गये हैं :

i. रुपयों में मूल्यवर्गित ईसीबी के मामले में विदेशी इक्विटी धारक से इतर अनिवासी ऋण दाता को भारत में एडी श्रेणी - I बैंक के माध्यम से की गयी अदला- बदली के माध्यम से / सीधी बिक्री के माध्यम से भारतीय रुपये जुटाने चाहिए |

ii. ईसीबी की मुद्रा को एक परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा से किसी भी दूसरी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में तथा साथ ही, भारतीय रुपयों में बदलने के लिए मुक्त रूप से अनुमति है | तथापि, भारतीय रुपयों में से किसी अन्य विदेशी मुद्रा में ऐसे परिवर्तन की अनुमति नहीं है |

iii. ईसीबी का भारतीय रुपयों में परिवर्तन संबंधित पार्टियों के बीच ऐसा परिवर्तन करने के लिए किये गये करार की तारीख को जो विनिमय दर प्रचलित होगी उस दर पर अथवा यदि ईसीबी ऋण दाता सहमत हो तो करार की तारीख को प्रचलित दर से कम विनिमय दर पर किया जाएगा |

2.5 प्रति रक्षा [हेजिंग] की अपेक्षाएं : [23]उपर्युक्त पैरा 2.4.2.vi के अनुसरण में पात्र उधारकर्ता निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक जोखिम प्रबन्धन नीति बनाएंगे और ईसीबी से प्राप्त सभी राशियों की पूरे समय के लिए 100 प्रतिशत प्रतिरक्षा करेंगे | साथ ही, नामित एडी श्रेणी-I बैंक इस बात का सत्यापन करेंगे कि ईसीबी की पूरी समयावधि में 100 प्रतिशत हेजिंग का अनुपालन किया जाता रहा है और रिज़र्व बैंक को ईसीबी 2 विवरण में उसकी स्थिति की रिपोर्ट करेंगे | साथ ही, यदि संबंधित क्षेत्रीय अथवा विवेक पूर्ण विनियामक ने ट्रैक I और II के प्रावधानों के अंतर्गत ईसीबी जुटाने वाली संस्थाओं को विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए हेजिंग करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये हों उन संस्थाओं को उन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा |

[24]**2.5.1 हेजिंग के परिचालनगत पहलू:** भा.रि.बैंक ने जहां कहीं भी हेजिंग को अनिवार्य बनाया है, वहां निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जाए:

[23] दिनांक 30 मार्च 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 56 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[24] दिनांक 7 नवंबर 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.15 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

i. **व्याप्ति :** ईसीबी उधारकर्ता को मूल राशि और साथ ही, कूपन को वित्तीय हेजिंग के जरिये सुरक्षित बनाना होगा | ईसीबी के कारण निर्माण हुए सभी एक्सपोजर के संबंध में वित्तीय हेजिंग ऐसे प्रत्येक एक्सपोजर के समय [अर्थात, उधारकर्ता की बहियों में जिस दिन देयता निर्माण हुई] से प्रारंभ किये जाने चाहिए |

ii. **अवधि और रोल ओवर:** वित्तीय हेजिंग की अवधि कम-से-कम एक वर्ष की होनी चाहिए और उसे आवधिक रूप से बढाया भी जाना चाहिए [रोल ओवर] | ऐसा करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ईसीबी की वजह से जो एक्सपोजर पैदा हुआ है उसके लिए ईसीबी की प्रचलन अवधि के दौरान किसी भी समय हेजिंग नहीं किए जाने की स्थिति निर्माण नहीं होती है |

iii. **स्वाभाविक हेज:** वित्तीय हेज के बदले में स्वाभाविक हेज पर केवल अन्य सभी अनुमानित बाह्य प्रवाहों को घटाकर अनुमानित नकदी परियोजना प्रवाहों/ मिलान की गयी मुद्रा में हुई आय को ऑफसेट करने की सीमा तक, विचार किया जाएगा | इस प्रयोजन के लिए यदि इस प्रकार के ऑफ सेटिंग के एक्सपोजर की परिपक्वता अवधि/ नकदी प्रवाह उसी लेखा वर्ष के भीतर हो तो उस ईसीबी को स्वाभाविक रूप से हेज किया हुआ माना जाएगा| अन्य किसी भी व्यवस्था / ढाँचे को, जहां आय को विदेशी मुद्रा के साथ जोड़ा गया है, उन्हें स्वाभाविक हेज नहीं माना जाएगा |

2.6 ईसीबी जुटाने के लिए जमानत: एडी श्रेणी- I बैंकों को अचल परिसंपत्तियां, चल संपत्तियां, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार पैदा करने के लिए तथा उधारकर्ता द्वारा जुटायी जानेवाली / जुटायी गयी ईसीबी को सुरक्षित बनाने के लिए विदेशी ऋण दाता / प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में कार्पोरेट और / अथवा वैयक्तिक गारंटियां जारी करने के लिए अनुमति दी गयी है, बशर्ते वे अपने आपको इस बात से संतुष्ट कर लेते हैं कि:

i. संबंधित ईसीबी जारी किये गये मौजूदा ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुरूप है,

ii. संबंधित ऋण करार में सुरक्षा संबंधी एक ऐसा खंड मौजूद है कि जिसमें ईसीबी उधारकर्ता को अचल परिसंपत्तियों पर / चल परिसंपत्तियों पर/ वित्तीय प्रतिभूतियों पर/ कार्पोरेट और / अथवा वैयक्तिक गारंटियों पर विदेशी ऋण दाता / प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में प्रभार पैदा करने की आवश्यकता हो और,

iii. भारत में मौजूद ऋण दाताओं से यथा लागू अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है |

2.6.1 अतिरिक्त शर्तें: एक बार उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किया गया तो एडी श्रेणी-I बैंक अचल परिसंपत्तियों, चल परिसंपत्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों तथा कार्पोरेट और / अथवा वैयक्तिक गारंटियों के निर्गम पर ईसीबी की प्रचालन अवधि के लिए अंडरलाइंग ईसीबी के साथ को टर्मिनेट होनेवाली प्रतिभूति के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभार पैदा कर सकते हैं:

2.6.1.1 अचल परिसंपत्तियों पर प्रभार पैदा करना: ऐसी व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी:

i. ऐसी सुरक्षा विदेशी मुद्रा प्रबंधन [भारत में अचल संपदा की खरीद और अंतरण] विनियमावली, 2000 में निहित प्रावधानों के अधीन होगी |

ii. इस अनुमति का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि विदेशी ऋण दाता / सेक्युरिटी ट्रस्टी को भारत में अचल परिसंपत्तियां [संपदा] खरीदने के लिए अनुमति दी गयी है |

iii. उक्त प्रभार के एनफोर्समेंन्ट / इनवोकेशन के मामले में वह अचल परिसंपत्ति / संपदा केवल भारत में निवासी किसी व्यक्ति को ही बेचनी होगी और उसकी बिक्री से प्राप्त राशि बकाया ईसीबी को समाप्त करने के लिए भारत में प्रत्यावर्तित करनी होगी |

2.6.1.2 चल परिसंपत्तियों पर प्रभार पैदा करना: उक्त प्रभार के एनफोर्समेंन्ट / इनवोकेशन के मामले में ऋण दाता का दावा, फिर यदि वह ऋणदाता चल परिसंपत्तियां ग्रहित करे या न करे, ईसीबी के बकाया दावे तक ही सीमित होगा | भारग्रस्त चल परिसंपत्तियों को भी घरेलू ऋण दाता/ दाताओं, यदि कोई हो, से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' मिलने की शर्त पर देश के बाहर ले जाया जा सकती हैं |

2.6.1.3 वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार पैदा करना: ऐसी व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी:

i. उधारकर्ता कंपनी के प्रवर्तकों के पास रखे गये तथा साथ ही, उधारकर्ता की घरेलू एसोसिएट कंपनियों में धारित शेयरों को गिरवी रखने की अनुमति दी गयी है | ईसीबी उधारकर्ता / प्रवर्तक के नाम में स्थित अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों, जैसे बॉण्ड और डिबेंचर्स, सरकारी प्रतिभूतियों, सरकारी बचत प्रमाण पत्रों, प्रतिभूतियों की जमा रसीदें और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों अथवा अन्य किसी म्युच्युअल फंड के यूनिट को भी गिरवी रखा जा सकता है |

ii. इसके अतिरिक्त, सभी चालू और भावी ऋण परिसंपत्तियों को और नकदी तथा नकदी समतुल्य परिसंपत्तियों सहित सभी चालू परिसंपत्तियों पर सुरक्षा ब्याज, जिसमें उधारकर्ता के भारत में एडी बैंकों के पास उधारकर्ता / प्रवर्तकों के नाम स्थित रुपया खाता भी शामिल हैं, का ईसीबी के लिए जमानत के रूप में उपयोग किया जा सकता है | उधारकर्ता / प्रवर्तक के रुपया खाते एस्क्रो व्यवस्था अथवा ऋण चुकौती [debt service] प्रारक्षित खाते के रूप में भी हो सकते है |

iii. गिरवी राखी गयी परिसंपत्तियों को इन्वोक किये जाने के मामले में वित्तीय प्रतिभूतियों का अंतरण विदेशी मुद्रा प्रबंधन [भारत के बाहर स्थित निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियां अंतरित अथवा जारी करना] विनियमावली, 2000 के साथ पठित सेक्टरल कैप और कीमतों से संबंधित यथा लागू प्रावधानों सहित मौजूदा एफडीआई / एफआईआई नीति के अनुरूप होगा |

2.6.1.4 कार्पोरेट अथवा वैयक्तिक गारंटी जारी करना: यह व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

i. ऐसी गारंटी जारी करने वाली कंपनी के लिए कार्पोरेट गारंटी जारी करने के लिए निदेशक बोर्ड के संकल्प की एक प्रतिलिपि प्राप्त की \जानी चाहिए जिसमें कंपनी की ओर से अथवा वैयक्तिक क्षमता में ऐसी गारंटियां निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम दर्शाया गया हो |

ii. वैयक्तिक गारंटियां जारी करने के लिए व्यक्तियों से विशेष अनुरोध प्राप्त किये जाने चाहिए, जिन में ईसीबी के सभी ब्योरे दर्शाये गये हो |

iii. ऐसी जमानत विदेशी मुद्रा प्रबंधन [गारंटियां] विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अधीन होगी|

iv. यदि विदेशी पार्टी/ पार्टियां मौजूदा ईसीबी दिशानिर्देशों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त ऋण दाता का मानदंड पूरा करती हैं तो ईसीबी के ऋण को बढ़ा सकती हैं, उनके लिए गारंटियां जारी कर सकती हैं / उनका बीमा कर सकती हैं |

2.7 भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा गारंटियां जारी करना: भारतीय बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और एनबीएफसी द्वारा ईसीबी के संबंध में गारंटियां, साख पत्र, वचन पत्र, कम्फर्ट पत्र जारी करने की अनुमति नहीं है | साथ ही, वित्तीय मध्यस्थों [जैसे, भारतीय बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अथवा एनबीएफसी] द्वारा किसी भी तरीके से एफसीसीबी में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया जाएगा|

2.8 ऋण इक्विटी अनुपात: उधारकर्ता संस्थाओं पर ऋण इक्विटी अनुपात के संबंध में सेक्टरल अथवा विवेकपूर्ण विनियामक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश, यदि कोई हों, लागू होंगे |

2.9 ईसीबी की राशि को पार्क करना: ईसीबी की राशि का नीचे दिये गये तरीके से विदेश में तथा साथ ही, घरेलू स्तर पर पार्क किया जा सकता है :

2.9.1 ईसीबी की राशि को विदेशों में पार्क करना : केवल विदेशी मुद्रा में व्यय करने के लिए जो ईसीबी निधियां हैं उनका उपयोग किये जाने तक उन्हें विदेशों में रखा जा सकता है | उपयोग होने तक इन

निधियों का नीचे उल्लेख की गयी तरल परिसंपत्तियों में निवेश किया जा सकता है : ए] जमाराशियां अथवा जमा प्रमाण पत्र अथवा बैंकों द्वारा प्रस्तावित अन्य उत्पादों जिन्हें स्टैण्डर्ड और पुअर / फिच / आईबीसीए द्वारा दी गई रेटिंग AA (-) से अथवा मूडीज द्वारा दी गई रेटिंग Aa3 से कम नहीं है; [ख] एक वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले खजाना बिल और अन्य मौद्रिक लिखत जिनका ऊपर उल्लेख किये गये अनुसार न्यूनतम रेटिंग है और सी] भारत के बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं में / उप शाखाओं में जमाराशियां |

2.9.2 ईसीबी की राशि को घरेलू स्तर पर पार्क करना: रुपया व्यय के लिए प्राप्त ईसीबी राशि को भारत में एडी श्रेणी-I बैंक में उनके रुपया खातों में जमा करने के लिए तत्काल प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए | ईसीबी उधारकर्ताओं को अपनी ईसीबी की राशियाँ भारत में एडी श्रेणी-I बैंकों के पास अधिकतम 12 महीनों के लिए मीयादी जमा राशि में पार्क करने की भी अनुमति है | ऐसी मियादी जमाराशियां भार रहित स्थिति में रखी जानी चाहिए |

2.10 ईसीबी का इक्विटी में परिवर्तन: [25]परिपक्व हो चुकी लेकिन अदा न की गयी ईसीबी सहित सभी ईसीबी का इक्विटी में परिवर्तन करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी गयी है:

i. उधार लेनेवाली कंपनी की गतिविधियाँ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए [एफडीआई] स्वचालित मार्ग में शामिल होनी चाहिए अथवा मौजूदा विदेशी निवेश नीति के अनुसरण में विदेशी इक्विटी में सहभागिता के लिए जहां लागू हो वहां विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए;

ii. [26]ऐसा रूपांतरण जो ऋण दाता की सहमति से तथा बिना किसी अतिरिक्त लागत के किया जाए और उससे विदेशी इक्विटी धारिता पर यथालागू सेक्टरल कैप का उल्लंघन नहीं होना चाहिए;

iii. शेयरों की कीमत निर्धारण पर लागू दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए;

iv. [27]ऊपर 2.12.4 में दी गयी रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं का पालन किया जाना चाहिए;

v. यदि संबंधित उधारकर्ता ने विदेशी शाखाओं / उप कार्यालयों सहित भारतीय बैंकिंग प्रणाली से अन्य उधार सुविधाओं का लाभ उठाया है, तो ऐसे मामले में भा.रि.बैंक के बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा ऋण की पुनर्रचना के बारे में जारी किये गये दिशानिर्देशों सहित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए; और

---

[25] दिनांक 20 अक्तूबर 2016 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं. 10 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया |

[26] दिनांक 20 अक्तूबर 2016 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं. 10 के जरिये संशोधित किया गया | संशोधन के पूर्व "इस प्रकार ऋण के इक्विटि में रूपान्तरण के बाद विदेशी इक्विटि धारिता यथालागू सेक्टरल सीमा के भीतर होगी। "

[27] दिनांक 20 अक्तूबर 2016 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं. 10 के जरिये पॉइंट iv.v और vi जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

vi. एक ही उधारकर्ता के लिए अन्य ऋण दाताओं, यदि हो, की सहमति होनी चाहिए अथवा कम-से-कम उस उधारकर्ता द्वारा किये गये रूपांतरणों के बारे में सभी जानकारी को उसके ऋण दाताओं के बीच साझा किया जाना चाहिए|

2.10.1 ईसीबी की देयताओं का इक्विटी में रूपान्तरण करने के लिए विनिमय दर: ईसीबी की देयताओं का इक्विटी में रूपान्तरण करने के प्रयोजन से संबंधित पार्टियों के बीच ऐसा रूपान्तरण करने के लिए किये गये करार की तारीख को प्रचलित दर अथवा ईसीबी ऋण दाता के साथ सहमति करते हुए उससे कम दर लागू की जा सकती है | यह नोट किया जाए कि जारी किये जाने वाले शेयरों के उचित मूल्य का निर्धारण, रूपांतरण की तारीख को ध्यान में रख कर ही किया जाना चाहिए |

2.11 ईसीबी जुटाने की प्रक्रिया: अनुमोदन मार्ग के मामलों में उधारकर्ता अपने एडी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भा.रि.बैंक के पास ईसीबी के लिए निर्धारित फ़ारमैट में आवेदन करे | ऐसे मामलों पर समग्र दिशानिर्देश, स्थूल आर्थिक स्थिति, और विशिष्ट प्रस्तावों की गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा |[28] रिजर्व बैंक में एक निश्चित सीमा रेखा [समय-समय पर पुनर्निर्धारित] से अधिक ऋण के लिए प्राप्त हुए ईसीबी के प्रस्ताव रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे | इस अधिकार प्राप्त समिति में रिज़र्व बैंक के बाहर के सदस्यों सहित रिज़र्व बैंक के आतंरिक सदस्य भी शामिल होंगे | रिज़र्व बैंक उक्त समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद इन मामलों पर अंतिम निर्णय लेगा | स्वचालित मार्ग के माध्यम से ईसीबी जुटाने की इच्छुक संस्थाओं को विधिवत भरे हुए फार्म सं.83 के साथ अपने प्रस्ताव लेकर एडी श्रेणी-I बैंक से संपर्क करना चाहिए | ईसीबी फार्म और फार्म 83 का प्रारूप मास्टर निदेश-विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिपोर्टिंग के भाग V के क्रमश: अनुबंध I और II में दिया गया है |

2.12 रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं: ईसीबी ढाँचे के अंतर्गत लिये गये उधार निम्नलिखित के संबंध में रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं के अधीन होंगे:

2.12.1 ऋण रजिस्ट्रेशन संख्या [एल आर एन]: किसी ईसीबी के संबंध में कोई ड्रा-डाउन तथा साथ ही, ईसीबी जुटाने के लिए यदि कोई शुल्क / प्रभार देय हैं तो वह रिज़र्व बैंक से एलआरएन मिलने के बाद ही किया जाना चाहिए | एल आर एन प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं को नामित एडी श्रेणी-I बैंक को विधिवत रूप से प्रमाणित फार्म 83, जिसमें ईसीबी की शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा | इसके

[28] दिनांक 30 जून 2016 के ए पी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं.80 के जरिये संशोधित किया गया | संशोधन के पहले उसे इस प्रकार पढ़ा जाता था *"भा.रि.बैंक द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा / इस अधिकार प्राप्त समिति में बाहरी तथा साथ ही, आतंरिक सदस्य भी होंगे /."*

बाद वह एडी श्रेणी-I बैंक उसकी एक प्रति निदेशक, भुगतान शेष सांख्यिकीय प्रभाग, सांख्यिकीय और सूचना प्रबंधन विभाग, [डीएसआईएम्], भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई-400 051, .[29]संपर्क के लिए टेलीफ़ोन नंबर 022-26572513 तथा 022-26573612, को प्रस्तुत करेगा | ईसीबी जुटाने के लिए ऋण करार की प्रतिलिपियाँ रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है |

2.12.2 ईसीबी की शर्तों में परिवर्तन: ईसीबी के मानदंडों में अनुमत परिवर्तनों की संशोधित फार्म 83 में यथाशीघ्र लेकिन परिवर्तन किये जाने के अधिकतम सात दिनों के भीतर डीएसआईएम को रिपोर्ट की जानी चाहिए | संशोधित फार्म 83 प्रस्तुत करते समय सम्प्रेषण में उन परिवर्तनों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए |

2.12.3 वास्तविक लेनदेनों की रिपोर्ट करना : उधारकर्ताओं को वास्तविक ईसीबी लेनदेनों की रिपोर्ट मासिक आधार पर ईसीबी 2 विवरणी के माध्यम से एडी श्रेणी-I बैंक को करनी होगी | एडी श्रेणी-I बैंक उक्त विवरणी संबंधित महीने के समाप्त होने के बाद सात कामकाजी दिनों के भीतर डीएसआईएम के पास भेजेगा | ईसीबी के मानदंडों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी भी रिपोर्ट ईसीबी 2 विवरणी में की जानी चाहिए | ईसीबी 2 विवरणी का प्रारूप विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम - मास्टर निदेश के भाग V के अनुबंध III में उपलब्ध है |

2.12.4 ईसीबी का इक्विटी में रूपांतरण करने पर उसकी रिपोर्ट करना: ईसीबी का इक्विटी में आंशिक अथवा पूर्ण रूपांतरण किये जाने की स्थिति में भा.रि.बैंक को उसकी निम्नानुसार रिपोर्ट की जाएगी :

i. आंशिक रूपांतरण के मामले में रूपांतरित हिस्से की एफडीआई के प्रवाहों की रिपोर्ट करने के लिए निर्धारित फार्म एफ सी-जीपीआर में भा.रि.बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पास रिपोर्ट करनी होगी, जब कि ईसीबी 2 विवरणी में मासिक रिपोर्ट में "ईसीबी का इक्विटी में अंशत: रूपान्तरण किया गया" टिप्पणी के साथ डीएसआईएम को रिपोर्ट करनी होगी |

ii. पूर्ण रूपांतरण के लिए समग्र हिस्से की फार्म एफसी जीपीआर फार्म में रिपोर्ट करनी चाहिए, जबकि डीएसआईएम में ईसीबी 2 विवरणी में रिपोर्ट करते समय "ईसीबी को इक्विटी में पूर्णत: रूपांतरित किया गया" टिप्पणी करनी चाहिए | उसके बाद ईसीबी 2 विवरणी दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है |

[29] संपर्क के टेलीफ़ोन नंबर समाविष्ट किए गए हैं।

iii. ईसीबी का इक्विटी में चरणबद्ध रूप से रूपांतरण करते समय ईसीबी 2 विवरणी में भी चरणबद्ध रूप से रिपोर्ट की जाएगी |

2.13 विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड [एफसीसीबी]: विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड [एफसीसीबी] के निर्गम को अगस्त 2005 में ईसीबी के दिशानिर्देशों के अंतर्गत लाया गया | एफसीसीबी के निर्गम की प्रक्रिया सेक्टरल कैप सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी | विनियमावली की अनुसूची I के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंधन [किसी विदेशी प्रतिभूति का अन्तरण अथवा निर्गम] विनियमावली, 2000 के विनियम 21 में निहित प्रावधानों के अनुसार (i) 5 वर्षों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि, (ii) कॉल और पुट विकल्प, यदि कोई हो, का उपयोग 5 वर्षों से पहले नहीं किया जाएगा (iii) कोइ वारंट अटैच किये बिना निर्गम, (iv) निर्गम से संबंधित व्यय निर्गम के आकार के 4 प्रतिशत से और यदि उसका निजी प्लेसमेंट हो तो निर्गम के आकार के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए इत्यादि की आवश्यकताओं के अतिरिक्त एफसीसीबी उन सभी विनियमों के अधीन होंगे जो ईसीबी के लिए लागू हैं |

2.14 विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड [एफसीईबी] : विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड [एफसीईबी] केवल अनुमोदन मार्ग के अधीन ही जारी किये जा सकते हैं| उनकी परिपक्वता अवधि न्यूनतम 5 वर्ष की होगी | ये बॉण्ड, किसी भी तरीके से या तो पूर्णत: या फिर अंशत: अथवा ऋण लिखतों को अटैच किए गए किसी भी इक्विटि से संबन्धित वारंट के आधार पर किसी दूसरी कंपनी के, जिसे ऑफर्ड कंपनी कहा जाता है, इक्विटि शेयार के रूप में बदले जा सकते हैं| एफसीईबी का निर्गम विनियमावली की अनुसूची IV जिसमें जारीकर्ता, ऑफर्ड कंपनी, अभिदाता, अनुमत अंतिम उपयोग आदि की पात्रताओं का उल्लेख किया गया है के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंधन [किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम] विनियमावली, 2000 के विनियम 21 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए| एफसीईबी की समग्र लागत रिज़र्व बैंक द्वारा ईसीबी के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर होनी चाहिए|

2.15 ईसीबी को पुनर्वित्त प्रदान करना: मौजूदा ईसीबी को नए ईसीबी द्वारा पुनर्वित्त प्रदान करने की अनुमति है, बशर्ते नयी ईसीबी पहली से कम समग्र लागत पर जुटाई गयी हो और उसकी बची हुई परिपक्वता अवधि कम नहीं की जाती है | [30]. [31] भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/ सहयोगी कंपनियों को सार्वजनिक स्तर के नवरत्न तथा महारत्न श्रेणी के उपक्रमों तथा उच्च दर्जा प्राप्त (AAA) कंपनियों (कॉर्पोरेट्स) के ईसीबी का पुनर्वित्त पोषण करने की अनुमति दी जाए,

[30] दिनांक 4 जनवरी 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 15 के जरिये हटाया गया

[31] दिनांक 4 जनवरी 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 15 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

बशर्ते मूल उधार की बकाया परिपक्वता को घटाया नहीं जाता है और नई ईसीबी की समग्र लागत मौजूदा ईसीबी से कम है। मौजूदा ईसीबी के आंशिक पुनर्वित्तपोषण के लिए भी समान शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाएगी।

2.16 एडी श्रेणी I बैंकों को ईसीबी से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्यायोजित अधिकार : नामित एडी श्रेणी-I बैंक एफसीईबी / एफसीसीबी को छोड़ कर उधारकर्ताओं से ईसीबी[32] के सन्दर्भ में परिवर्तन करने के लिए किये गये निम्नलिखित अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं :

i. **ड्रा डाउन / चुकौती की समय सारणी में परिवर्तन / संशोधन :** नामित एडी श्रेणी-I बैंक ईसीबी के ड्रा डाउन / चुकौती की समय सारणी में परिवर्तन / संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं [फिर ऐसा अनुरोध कितनी ही बार क्यों न किया गया हो] फिर वह ईसीबी की औसत परिपक्वता अवधि में परिवर्तन के संबंधित हो या नहीं तथा / अथवा उसकी समग्र लागत में परिवर्तन की ही बात क्यों न हो [लागत को कम करना या बढाना]

ii. **उधार की मुद्रा में परिवर्तन:** नामित एडी श्रेणी-I बैंक ईसीबी की उधार की मुद्रा का अन्य किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तित होने वाली मुद्रा में अथवा भारतीय रुपयों में परिवर्तन करने के लिए अनुमति दे सकते हैं बशर्ते अन्य निर्धारित मानदंडों का अनुपालन किया जाता है | भारतीय रुपयों में ली गयी ईसीबी की मुद्रा का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है |

iii. **एडी श्रेणी-I बैंक में परिवर्तन :** एडी श्रेणी-I बैंक को भी बदला जा सकता है बशर्ते, मौजूदा एडी श्रेणी-I बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है।

iv. **उधारकर्ता कंपनी के नाम में परिवर्तन:** नामित एडी श्रेणी-I बैंक उधारकर्ता कंपनी के नाम में परिवर्तन करने के लिए अनुमति दे सकते हैं बशर्ते वह कंपनी नाम में परिवर्तन किये जाने संबंधी सबूतों के रूप में कंपनी रजिस्ट्रार / यथोचित प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेज उसके समर्थन में प्रस्तुत करती है |

v. **ईसीबी का अंतरण:** नामित एडी श्रेणी-I बैंक यथालागू क़ानून / नियमावलियों के अनुसार उधारकर्ता के स्तर पर विलयन / विलयन समाप्त होना /समामेलन / अधिग्रहण आदि के कारण कंपनी का पुनर्गठन किया गया हो तो, स्वयं इस बात से संतुष्ट होने के बाद ईसीबी का एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अंतरण करने की अनुमति दे सकते हैं कि ईसीबी प्राप्त करनेवाली कंपनी पात्र उधारकर्ता है |

[32] दिनांक 30 मार्च 2016 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं. 56 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

vi. मान्यताप्राप्त ऋण दाता में परिवर्तन: नामित एडी श्रेणी-I बैंक ईसीबी उधारकर्ताओं से मान्यताप्राप्त ऋण दाता में परिवर्तन के बारे में प्राप्त अनुरोध का अनुमोदन कर सकते हैं बशर्ते, (ए) ईसीबी के बारे में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मूल और नया दोनों ही ऋण दाता मान्यता प्राप्त हों और, (बी) ईसीबी की अन्य किसी शर्त में कोई परिवर्तन न हो | यदि ऐसा नहीं होता है तो यह मामला भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग के पास भेजा जाना चाहिए |

vii. ऋण दाता के नाम में परिवर्तन: नामित एडी श्रेणी-I बैंक ईसीबी ऋण दाता के नाम में परिवर्तन की ऐसे लेनदेन की प्रामाणिकता से संतुष्ट होने के बाद और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह ईसीबी लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन में ही बनी हुई है, अनुमति प्रदान कर सकते हैं |

viii. ईसीबी का समयपूर्व भुगतान : एडी श्रेणी-I बैंक ईसीबी का समयपूर्व भुगतान करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं बशर्ते इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत करार पर दिये गये ऋण के लिए लागू निर्धारित न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन किया जाता है |

ix. एलआरएन को रद्द करना: नामित एडी श्रेणी-I बैंक करार की गयी ईसीबी का एलआरएन रद्द करने के लिए डीएसआईएम से सीधे ही संपर्क कर सकते हैं बशर्ते वे यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि उस एलआरएन के मामले में कोई ड्रा डाउन नहीं है और आबंटित एलआरएन के संबंध में उस तारीख तक मासिक ईसीबी-2 विवरणी डीएसआईएम को प्रस्तुत की जा चुकी है |

x. ईसीबी की राशि के अंतिम उपयोग में परिवर्तन: नामित एडी श्रेणी-I बैंक उधारकर्ताओं से स्वचालित मार्ग से ली गयी ईसीबी के संबंध में उसके अंतिम उपयोग में परिवर्तन करने के बारे में प्राप्त अनुरोध के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं बशर्ते, ईसीबी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित अंतिम उपयोग के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमति है |[7]

xi. ईसीबी की राशि में कटौती: नामित एडी श्रेणी-I बैंक ईसीबी की राशि में कटौती करने के लिए प्राप्त अनुरोध के लिए [फिर ऐसे अनुरोध कितनी ही बार किये गये हों] ड्रा डाउन में और चुकौती की समय सारणी में, तथा औसत परिपक्वता अवधि और समग्र लागत में किसी परिवर्तन सहित या उसके बिना, लागू ईसीबी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं |

xii. ईसीबी की समग्र लागत [all-in-cost] में परिवर्तन : नामित एडी श्रेणी-I बैंक ईसीबी के उधारकर्ताओं से ईसीबी की समग्र लागत [all-in-cost] में परिवर्तन करने [घट / बढ़] के लिए प्राप्त अनुरोध

को अनुमोदन दे सकते हैं, फिर ऐसे अनुरोध कितनी ही बार क्यों न किये गये हों, बशर्ते स्वचालित मार्ग के लिए निर्धारित ईसीबी मानदंडों के अधीन है |

xiii. मौजूदा ईसीबी को पुनर्वित्त प्रदान करना+: नामित एडी श्रेणी-I बैंकों को नये ईसीबी जुटाते हुए मौजूदा ईसीबी को पुनर्वित्त प्रदान करने की अनुमति है बशर्ते, मूल उधार की बकाया परिपक्वता अवधि घटायी नहीं जाए और नयी ईसीबी की समग्र लागत मौजूदा ईसीबी से कम हो | [33]भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/ सहयोगी कंपनियों के शामिल होने के मामले में पैराग्राफ संख्या 2.15 पर दी गई शर्तें लागू होंगी। [34]साथ ही, पिछले ईसीबी ढाँचे के अंतर्गत जुटायी गयी ईसीबी का पुनर्वित्तपोषण करने की भी अनुमति इस बात को अतिरिक्त रूप से सुनिश्चित किये जाने की शर्त पर दी जा सकती है कि उधारकर्ता मौजूदा ढाँचे के अंतर्गत ईसीबी जुटाने के लिए पात्र है | मौजूदा ईसीबी का आंशिक पुनर्वित्तपोषण करने के लिए नयी ईसीबी जुटाने की भी अनुमति उन्हीं शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है |

[35]xiv. परिपक्व हो चुकी परन्तु अदा न की गयी ईसीबी का समय विस्तार : नामित एडी श्रेणी-I बैंक परिपक्व हो चुकी परन्तु अदा न की गयी ईसीबी का समय विस्तार करने के लिए अनुमति प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते, ऋण दाता की उसके लिए सहमति हो और उसके लिए कोई अतिरिक्त लागत न उठानी पड़े और रिपोर्टिंग संबंधी सभी अपेक्षाओं का पालन किया जाए |

2.16.1 अतिरिक्त अपेक्षाएं: प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत परिवर्तनों की अनुमति देते समय एडी श्रेणी-I बैंक इस बात को सुनिश्चित करें कि:

i. [36]संशोधित औसत परिपक्वता अवधि और / अथवा उसकी समग्र लागत यथालागू सीमाओं / दिशानिर्देशों के अनुरूप हो और वह ईसीबी लागू दिशा निर्देशों के अनुरूप ही बनी रहे | इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि एसीबी उधारकर्ता ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली की विदेशी शाखाओं / उप कार्यालयों सहित भारतीय बैंकिंग प्रणाली से भी उधार की सुविधाएं लीं हों तो उसके ईसीबी के लिए दिया जाने वाला कोई भी समय विस्तार [फिर वह परिपक्व हुई हो अथवा नहीं] रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विनियमन अनुभाग द्वारा जारी किये गये पुनर्रचना पर दिशानिर्देशों सहित यथालागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगा |

---

[33] दिनांक 4 जनवरी 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 15 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[34] दिनांक 30 मार्च 2016 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं. 56 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[35] दिनांक 20 अक्तूबर 2016 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं. 10 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[36] दिनांक 20 अक्तूबर 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 10 के जरिये संशोधित किया गया | संशोधन के पहले उसे इस प्रकार पढ़ा जाता था *"औसत परिपक्वता और / अथवा समग्र लागत लागू उच्चत्तम सीमाओं / दिशानिर्देशों के अनुरूप है और ये परिवर्तन ईसीबी की अवधि के दौरान किये गये हैं और वह ईसीबी लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप बनी रही है"*

ii. प्राधिकृत व्यापारियों को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उनके द्वारा ईसीबी की शर्तों में किये गये परिवर्तन और / अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित परिवर्तनों की संशोधित फार्म संख्या 83 के माध्यम से डीएसआईएम/ भा.रि.बैंक को यथाशीघ्र परन्तु ऐसे परिवर्तन किये जाने के 7 दिनों के अन्दर रिपोर्ट की जानी चाहिए । डीएसआईएम/ भा.रि.बैंक को संशोधित फार्म संख्या 83 के माध्यम से रिपोर्ट करते समय संबंधित सम्प्रेषण में किये गये परिवर्तनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए | साथ ही, ये परिवर्तन ईसीबी 2 विवरणी में भी यथोचित रूप से प्रतिबिंबित होने चाहिए |

टिप्पणियाँ:

7. अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत जुटायी गयी ईसीबी के अंतिम उपयोग में किये गये परिवर्तनों की विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई को रिपोर्ट करना जारी रहेगा |

2.17 जांच के दायरे में स्थित संस्थाओं द्वारा उधार: ऐसी सभी संस्थाएं जिनके विरुद्ध फेमा की विनियमावली के किसी भी विनियम का उल्लंघन करने के लिए क़ानून लागू करनेवाली एजेंसियों द्वारा जांच चल रही है / जो न्यायालयीन निर्णय के अधीन हैं / जिनके विरुद्ध अपील दायर की गयी है , वे उनके विरुद्ध लंबित जांच/ न्यायिक निर्णय/ अपील अनिर्णीत होने के बावजूद, ऐसी जांच / न्यायिक निर्णय / अपीलों में आनेवाले परिणामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि अन्यथा पात्र हों तो लागू मानदंडों के अनुसार ईसीबी जुटा सकते हैं | उधार लेनेवाली संस्था ऐसी जांच / न्यायिक निर्णय / अपील अनिर्णीत होने के संबंध में एडी श्रेणी-I बैंक / रिज़र्व बैंक को, जैसी भी स्थिति हो, रिपोर्ट करेगी | तदनुसार, ऐसे सभी आवेदनों के मामले में जहां उधारकर्ता संस्था ने अपने विरुद्ध अनिर्णीत जांच / न्यायिक निर्णय / अपील की रिपोर्ट की हो, वहां एडी श्रेणी-I बैंक / रिज़र्व बैंक ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करते समय उस अनुमोदन पत्र की प्रतिलिपि सभी संबंधित एजेंसियों को परांकित करते हुए उसकी जानकारी प्रदान करेगा |

2.18 संयुक्त ऋण दाता [जेएलएफ] अथवा कार्पोरेट ऋण पुनर्गठन संस्थाओं [सीडीआर] के अंतर्गत ईसीबी जुटाना: जो संस्था संयुक्त ऋण दाता [जे एल एफ] अथवा कार्पोरेट ऋण पुनर्गठन संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं, वे केवल जेएलएफ \ सीडीआर अधिकार प्राप्त समिति की सुस्पष्ट अनुमाति के साथ ईसीबी जुटा सकती है |

2.19 सूचना का प्रसारण: स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग, दोनों ही के अंतर्गत ईसीबी उधारकर्ता का नाम, उसकी राशि, उसका प्रयोजन और उसकी परिपक्वता अवधि के बारे में जानकारी को बेहतर पारदर्शिता

प्रदान करने के लिए यह जानकारी जिस माह से संबंधित है उस माह के बाद एक महीने के भीतर मासिक आधार पर भा.रि.बैंक के वेबसाईट पर डाली जाती है |

2.20 दिशानिर्देशों का अनुपालन : जो उधार लिया गया है वह लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन करते हुए ही लिया गया है इसे सुनिश्चित करने का प्राथमिक दायित्व संबंधित उधारकर्ता का ही है | ईसीबी के दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए फेमा के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है | नामित एडी श्रेणी-I बैंक को भी अपने ग्राहकों द्वारा ईसीबी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना चाहिए |

2.21 पहले की 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की योजना के अंतर्गत जुटायी गयी ईसीबी: नामित एडी श्रेणी-I बैंकों को पहले की 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की योजना के अंतर्गत जुटायी गयी ईसीबी की चुकौती करने के लिए दिये गये समय को बढाने की अनुमति दी गयी है, बशर्ते संबंधित विदेशी ऋण दाता से इस प्रकार समय सारणी फिर से बनाने के लिए सहमति प्राप्त हो गयी है और उस नयी समय सारणी में कोई अतिरिक्त लागत निहित नहीं है | इस प्रकार के अनुमोदन की सूचना**,** ऋण की [Loan Key]/ ऋण रजिस्ट्रेशन संख्या तथा मौजूदा और संशोधित चुकौती की समय सारणी सहित पहले प्रधान मुख्य महा प्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, ईसीबी प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को अनुमोदन के सात दिनों के भीतर और बाद में ईसीबी 2 विवरण में दी जानी चाहिए |

2.22 दिनांक 02 दिसंबर 2015 के पहले उपलब्ध ईसीबी व्यवस्था: जिन संस्थाओं ने दिनांक 02 दिसंबर 2015 के पहले उपलब्ध ईसीबी व्यवस्था के ढाँचे के अंतर्गत ईसीबी जुटायी थी, वे संस्थाएं ऐसे ऋण दिनांक 31 मार्च 2016 के पहले जुटा सकटी हैं बशर्ते उस ऋण के संबंध में किये गये करार पर जिस तारीख को वह अस्तित्व में आएगा उस तारीख तक हस्ताक्षर किये जाते हैं | यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 02 दिसंबर 2015 से पहले किये गये सभी ऋण करार उन ऋण करारों में पहले ही किये गये प्रावधानों के अनुसार रिज़र्व बैंक या/ और एडी श्रेणी-I की कोई अनुमति लिये बगैर उनकी चुकौती की समय सारणी के साथ जारी रह सकते हैं | तथापि, इस प्रकार नीचे उल्लिखित तरीके से ईसीबी जुटाने के लिए उधारकर्ताओं को ऋण करार पर हस्ताक्षर करने के लिए और भारतीय रिज़र्व बैंक से एलआरएन पाने के लिए दिनांक 31 मार्च 2016 तक का समय उपलब्ध होगा:

i. एयरलाईन कंपनियों द्वारा कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए ईसीबी सुविधा;
ii. 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की योजना के अंतर्गत निरंतर विदेशी मुद्रा अर्जकों के लिए ईसीबी सुविधा, और

iii. अल्प कीमत वाली सस्ती आवासीय परियोजनाओं के लिए ईसीबी सुविधा [विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में यथा परिभाषित अल्प कीमत वाली सस्ती आवासीय परियोजनाए]

2.22.1 कार्व आउट योजनाओं के लिए ईसीबी सुविधा: ऊपर 2.22 में सूचीबद्ध की गयी कार्व आउट योजनाओं के लिए ईसीबी सुविधा के बारे में अधिक जानकारी नीचे दी गयी है:

2.22.1.1 एयरलाईन कंपनियों द्वारा कार्यशील पूंजी के लिए ईसीबी सुविधा: कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत रजिस्टर की गयी तथा डीजीसीए से यात्री परिवहन के लिए अनुसूची परिचालन परमिट धारण करनेवाली कंपनियां ईसीबी जुटाने के लिए पात्र हैं | ऐसी ईसीबी के लिए नकदी प्रवाह, विदेशी मुद्रा अर्जन, और ऋण की चुकौती करने की क्षमता के आधार पर अनुमति दी जाएगी | ऐसी ईसीबी निम्नलिखित शर्तों के अधीन न्यूनतम तीन वर्षों की परिपक्वता अवधि के लिए जुटायी जाएगी | :

i. समस्त नागरी विमानन सेवा के लिए समग्र ईसीबी की उच्चतम सीमा एका बिलियन डॉलर होगी और किसी व्यक्तिगत एयर लाइन द्वारा जुटायी जानेवाली ईसीबी के लिए अधिकतम अनुमत सीमा 300 मिलियन अमरीकी डॉलर होगी |

ii. यह सीमा कार्यशील पूंजी के लिए तथा साथ ही, भारतीय बैंकिंग प्रणाली से लिए गए बकाया कार्यशील पूंजी रुपया ऋण [ऋणों] का पुनर्वित्तपोषण करने के लिए उपयोग में लायी जा सकेगी |

iii. उपर्युक्त के अनुसार कार्यशील पूंजी / कार्यशील पूंजी का पुनर्वित्तपोषण करने के लिए ली गयी ईसीबी सुविधा को रोल ओवर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी |

iv. ईसीबी की चुकौती के लिए विदेशी मुद्रा भारतीय बाजारों से नहीं जुटायी जानी चाहिए और यह देयता केवल उधारकर्ता कंपनी की विदेशी मुद्रा आय से ही समाप्त की जानी चाहिए |

2.22.1.2 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की योजना के अंतर्गत निरंतर विदेशी मुद्रा अर्जकों के लिए ईसीबी सुविधा: उत्पादन, बुनियादी सुविधा क्षेत्र, और होटल क्षेत्र [भौगोलिक स्थान को ध्यान में लिए बिना होटल के क्षेत्र के लिए 250 करोड़ रुपये और उससे अधिक की परियोजना लागत] में कार्यरत भारतीय कंपनियां घरेलू बैंकिंग प्रणाली से पूंजी व्यय के लिए जुटाये गये बकाया ऋणों की चुकौती करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन ईसीबी जुटा सकती हैं और / अथवा नये रुपया पूंजी व्यय कर सकती हैं :

i. उधारकर्ता पिछले तीन वर्षों के दौरान निरन्तर विदेशी मुद्रा अर्जक होना चाहिए और वह भारतीय रिज़र्व बैंक की चूककर्ताओं की सूची में / चेतावनी सूची में शामिल नहीं होना चाहिए |

ii. किसी व्यक्तिगत कंपनी द्वारा जुटायी जानेवाली अधिकतम अनुमत ईसीबी पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूल किये गये औसत वार्षिक निर्यात अर्जनों के 75 प्रतिशत अथवा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के

दौरान किसी भी एक वित्तीय वर्ष में वसूल की गयी उच्चतम विदेशी मुद्रा आय के 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, तक सीमित होगी | विशेष प्रयोजन वाहन [Special Purpose Vehicles] के मामले में जिन्होंने अपने निगमन [incorporation] की तारीख से अपने अस्तित्व का कम से कम एक वर्ष पूरा कर लिया है, और जिनके पास अपना पर्याप्त ट्रैक रिकार्ड नहीं है, / पिछले तीन वित्तीय वर्षों का कोई कार्यनिष्पादन नहीं है, ऐसे मामलों में जुटायी जा सकनेवाली अधिकतम अनुमत ईसीबी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल की गयी वार्षिक निर्यात राशि के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी |

iii. ईसीबी की चुकौती के लिए विदेशी मुद्रा भारत के बाजार से नहीं जुटायी जानी चाहिए और ईसीबी से पैदा होनेवाली देयताओं को उधारकर्ता कंपनी की विदेशी मुद्रा आय से ही समाप्त किया जाना चाहिए |

iv. इस योजना के अंतर्गत ऐसी ईसीबी के लिए समग्र उच्चतम सीमा 10 [दस] बिलियन अमरीकी डॉलर तक और किसी व्यक्तिगत कंपनी अथवा समूह द्वारा जुटायी गयी ईसीबी की सकल सीमा 3 बिलियन अमरीकी डॉलर तक सीमित होगी |

v. ऊपर दी गयी समग्र सीमा के भीतर उपरोल्लिखित तीनों क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय कंपनियों ने, जिन्होंने संयुक्त उपक्रम स्थापित [जेवी] / पूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी संस्था स्थापन कर ली है / फेमा के अंतर्गत मौजूदा विनियमावली के अनुसरण में विदेशों में परिसंपत्तियां जुटा ली हैं, वे पूंजी व्यय के अतिरिक्त पांच वर्ष और उससे अधिक की अवधि की औसत शेष परिपक्वता वाले अपने सभी मीयादी ऋणों और घरेलू बैंकों से विदेशों में संयुक्त उपक्रम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी संस्थाओं में निवेश करने के लिए ली गई ऋण सुविधाओं की चुकौती करने के लिए ईसीबी जुटा सकते हैं | किसी व्यक्तिगत कंपनी द्वारा जुटायी जानेवाली अधिकतम अनुमत ईसीबी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वसूल किये गये औसत वार्षिक निर्यात के 75 प्रतिशत अथवा सांविधिक लेखा परीक्षकों / सनदी लेखाकारों / प्रमाणपत्र धारक सरकारी अकाउंटेंट / सेबी के पास रजिस्टर्ड श्रेणी I मर्चंट बैंकर / मेजबान देश के यथोचित प्राधिकारी के पास रजिस्टर्ड भारत के बाहर निवेश बैंकर द्वारा यथा प्रमाणित किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशों में किसी संयुक्त उपक्रम / पूर्णत: स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था में किये गये निवेश / धारित परिसंपत्तियों से आगामी तीन वित्तीय वर्षों के दौरान संभवत: वसूल की जा सकने वाली राशि के 75 प्रतिशत तक अनुमत की जाएगी | लाभांश / प्रत्यावर्तित लाभ / विदेशी मुद्रा के अन्य अंत:प्रवाह,जैसे रोयल्टी / तकनीकी जानकारी / अन्य शुल्क

विदेशों में संयुक्त उपक्रम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी संस्थाओं / परिसंपत्तियों से पहले प्राप्त हो चुकी आय को इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा की आय के रूप में हिसाब में लिया जाएगा|

vi. 10 बिलियन अमरीकी डॉलर योजना के अंतर्गत भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / उप कार्यालयों से ईसीबी नहीं जुटायी जा सकती |

vii. **2.22.1.3 अल्प लागत वाली सस्ती आवासीय परियोजनाओं के लिए ईसीबी**: अल्प लागत वाली सस्ती आवासीय परियोजनाओं के लिए ईसीबी के बारे में निर्धारित शर्तें निम्नानुसार हैं:

i. ईसीबी के प्रयोजन के लिए अल्प लागत वाली सस्ती आवासीय परियोजना की परिभाषा मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार होगी |

ii. ईसीबी की राशि का भूमि अधिग्रहण के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा |

iii. कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड विकासक / भवन निर्माता अल्प लागत वाली सस्ती आवासीय परियोजना के लिए ईसीबी जुटा सकते हैं बशर्ते उन्हें आवासीय परियोजनाओं पर काम करने का न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव हो, गुणवत्ता और समय पर सुपुर्दगी का पिछला अच्छा रिकार्ड हो और भूमि के उपयोग के संबंध में राजस्व विभाग की मंजूरी सहित / परियोजना मंजूरी / अन्य सभी निकायों से पर्यावरण संबंधी मंजूरी आदि सहित प्राप्त की गयी सभी आवश्यक मंजूरियां रिकार्ड पर उपलब्ध हो | साथ ही, उन्होंने कभी बैंकों / वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य किसी एजेंसी को किये गये वादे निभाने में कभी कोई चूक नहीं की हो और वह परियोजना किसी मुकदमेंबाजी में नहीं फंसी हो | उपर्युक्त मानदंड पूरा करने वाले भवन निर्माता / विकासकों को राष्ट्रीय आवास बैंक [एनएचबी] के पास निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा | राष्ट्रीय आवास बैंक [एनएचबी] अल्प कीमत वाली सस्ती आवास परियोजना के रूप में किसी परियोजना की पात्रता के बारे में निर्णय लेनेवाली एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा और इस बात से संतुष्ट होने के बाद वह आवेदन पत्र रिज़र्व बैंक के पास विचारार्थ भेजेगा | एक बार राष्ट्रीय आवास बैंक [एनएचबी] रिज़र्व बैंक को वह आवेदन पत्र भेजने के लिए तैयार हो जाएगा तब वह संभाव्य उधारकर्ता [भवन निर्माता / विकासक] को उसके प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से ईसीबी प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विचार किये जाने हेतु रिज़र्व बैंक से सम्पर्क करने के लिए सूचित करेगा |

iv. उक्त ईसीबी को पूरी परिपक्वता अवधि के लिए पूर्णत: प्रतिरक्षा आधार पर रुपयों में परिवर्तित किया जाना चाहिए |

v. राष्ट्रीय आवास बैंक के पास रजिस्टर्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी विनियामक निदेशों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालित आवास वित्त कंपनियां अल्प कीमत वाले सस्ते आवासों का वित्तपोषण करने के लिए ईसीबी जुटाने की पात्र हैं | आवास वित्त कंपनियों [एचएफसी] की न्यूनतम निवल स्वामित्व वाली निधियां पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तीन सौ करोड़ रुपयों से कम नहीं होनी चाहिए | ईसीबी के माध्यम से लिये गये उधार उनकी निवल स्वामित्व वाली निधियों के 16 [सोलह] गुना की समग्र उधार सीमा के भीतर होने चाहिए और निवल अनर्जक परिसंपत्तियां [एनएनपीए] उनके निवल अग्रिमों के 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए | वैयक्तिक खरीदार को मंजूर की गयी ऋण की राशि 25 लाख रुपयों से अधिक नहीं होगी लेकिन उसके लिए यह शर्त है कि वैयक्तिक आवास यूनिट की कीमत 30 लाख रुपयों से अधिक नहीं होनी चाहिए | आवास वित्त कंपनियां अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय एनएचबी से प्राप्त एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि अल्प कीमत वाले सस्ते वैयक्तिक यूनिटों के संभाव्य खरीदारों का वित्तपोषण करने के लिए उक्त ईसीबी ली जा रही है, और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने अंतिम उधारकर्ता को अलग-अलग स्तरों पर जो ब्याज लगाया है [interest rate spread] वह उचित है |

vi. राष्ट्रीय आवास बैंक भी वैयक्तिक उधारकर्ताओं के अल्प कीमतवाले सस्ते आवासीय घरों का वित्तपोषण करने के लिए ईसीबी जुटाने के लिए पात्र हैं | साथ ही, यदि कोई अल्प कीमतवाली सस्ती आवासीय गृह परियोजना का विकासक ऊपर परिकल्पित तरीके से सीधे ही ईसीबी नहीं जुटा पाता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक को ऐसे विकासकों का, जो विकासकों / भवन निर्माताओं के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करते हैं, वित्तपोषण करने के लिए भा.रि.बैंक द्वारा ब्याज दर स्प्रेड के अधीन [interest rate spread] ईसीबी जुटाने की अनुमति है |

vii. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तय किया जानेवाला ब्याज दरों का फैलाव [Interest rate spread] उस बैंक द्वारा ही उसकी लागत और अन्य संबंधित घटकों पर विचार करने के बाद तय किया जा सकता है | एन एच बी यह तय करेगा कि वैयक्तिक अल्प कीमतवाले सस्ते आवासीय घरों के संभाव्य खरीदारों को ऋण प्रदान करने के लिए आवास वित्त कंपनियों को दिये जानेवाले ऋण पर ब्याज दर का फैलाव उचित है |

viii. विकासकों / भवन निर्माताओं / आवास वित्त कंपनियों / राष्ट्रीय आवास बैंक को इस योजना के अधीन विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉड [एफसीसीबी] खरीदने की अनुमति नहीं है |

ix. अल्प कीमतवाले सस्ते आवासीय गृह निर्माण योजना के अंतर्गत ईसीबी जुटाने के लिए वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए हर वर्ष के लिए 1 [एक] बिलियन अमरीकी डॉलर की सकल सीमा तय की गयी है | इसमें विकासकों / भवन निर्माताओं / और एनएचबी / निर्दिष्ट आवास वित्त कंपनियों द्वारा जुटायी जानेवाली ईसीबी शामिल है |

[37]**2.23 स्टार्ट अप के लिए ईसीबी सुविधा**: स्टार्ट अप कंपनियों को स्वचालित मार्ग के माध्यम से निम्नलिखित ढाँचे के अनुसार ईसीबी जुटाने के लिए अनुमति देने के लिए ए डी श्रेणी- I बैंकों को प्राधिकृत किया गया है:

2.23.1 पात्रता: जिस संस्था को ईसीबी जुटाने की तारीख को स्टार्ट अप के रूप में केन्द्रीय सरकार ने मान्यता दी है, वे कंपनिया इस सुविधा के अंतर्गत इसके लिए पात्र होंगी |

2.23.2 परिपक्वता अवधि: न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि 3 वर्ष होगी |

2.23.3 मान्यता प्राप्त ऋण दाता: ऋण दाता / निवेशक उस देश का सदस्य होगा जो देश वित्तीय कार्रवाई कार्यबल [एफएटीएफ] का सदस्य है अथवा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल [एफएटीएफ] जैसे ही किसी अन्य क्षेत्रीय निकाय का सदस्य है और वह एफएटीएफ द्वारा सार्वजनिक विवरण में निम्न तरीके से अभिनिर्धारित देश से नहीं है:

i. ऐसा कार्य क्षेत्र जिसका रणनीतिगत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथवा आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण का मुकाबला करने में कमियाँ होने के कारण उसके लिए प्रति उपाय करने की आवश्यकता पैदा हो गयी है अथवा;

ii. ऐसा कार्यक्षेत्र जिसने इन कमियों का निवारण करने के लिए कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाये हैं अथवा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की सहायता से इन कमियों को हटाने के लिए कोई योजना नहीं बनायी है

अपवाद: *भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / उप कार्यालयों और किसी भारतीय कंपनी की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था / संयुक्त उपक्रम को इस ढाँचे के अधीन मान्यता प्राप्त ऋण दाता नहीं माना जाएगा |*

2.23.4 स्वरूप: ऐसे उधार ऋणों अथवा अपरिवर्तनीय, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अथवा अंशत: परिवर्तनीय प्रेफरंस शेयर के रूप में हो सकते हैं |

2.23.5 मुद्रा: लिया गया उधार किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तित हो सकनेवाली मुद्रा में अथवा भारतीय रुपयों में अथवा दोनों ही में संयुक्त रूप से मूल्यवर्गित होना चाहिए | यदि भारतीय रुपयों में ऐसा उधार लिया गया

[37] दिनांक 27 अक्तूबर 2016 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं. 13 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

हो तो अनिवासी ऋण दाता को भारत में एडी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से अदला बदली [स्वैप] के माध्यम से / सीधी खरीद करते हुए भारतीय रुपये जुटाने चाहिए |

2.23.6 राशि: प्रति स्टार्ट अप उधार प्रति वित्तीय वर्ष भारतीय रुपयों में अथवा किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तित हो सकनेवाली मुद्रा में अथवा दोनों ही में एक साथ 3 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि तक सीमित होगा |

2.23.7 समग्र लागत [**All-in-cost**]: यह लागत उधारकर्ता और ऋण दाता के बीच पारस्परिक सहमति से तय की जाएगी |

2.23.8 अंतिम उपयोग: उधारकर्ता के कारोबार के संबंध में किसी भी प्रकार के व्यय के लिए |

2.23.9 इक्विटी में रूपांतरण: स्टार्ट अप में किये जानेवाले विदेशी निवेश पर लागू विनियमावली की शर्तों के अधीन ईसीबी का इक्विटी में रूपांतरण मुक्त रूप से करने की अनुमति है |

2.23.10 जमानत: ऋण दाता को प्रदान की जानेवाली जमानत उधारकर्ता संस्था पर छोडी गयी है | यह जमानत चल, अचल, अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में [पेटंट, बौद्धिक संपदा अधिकार सहित] या वित्तीय प्रतिभूतियों के रूप में हो सकती है और वह ऐसी प्रतिभूतियां धारण करने वाले विदेशी ऋण दाताओं / विदेशी संस्थाओं पर लागू होनेवाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश / विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अथवा अन्य मानदंडों का अनुपालन करेंगे |

2.23.11 कार्पोरेट और वैयक्तिक गारंटी: कार्पोरेट और वैयक्तिक गारंटी जारी करने की अनुमति है | अनिवासी [अनिवासियों] द्वारा जारी की गयी गारंटियों के लिए भी केवल तभी अनुमति दी जा सकती है यदि ऐसी पार्टियां उपर्युक्त पैरा 2.23.3 में यथा उल्लिखित ऋण दाता के रूप में अर्हक होती हैं |

अपवाद : *भारतीय बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गारंटी, स्टैंड बाई साख पत्र, वचन पत्र अथवा कम्फर्ट पत्र जारी करने की अनुमति नहीं है /.*

2.23.12 प्रति रक्षा [**Hedging**]: भारतीय रुपयों में मूल्यवर्गित ईसीबी के मामले में विदेशी ऋणदाता भारतीय रुपयों में अपने जोखिम की भारत में एडी श्रेणी-I बैंक के अनुमत डेरिवेटिव् उत्पादों के माध्यम से प्रतिरक्षा कर सकेगा | वह ऋण दाता भारत के बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं / उप कार्यालयों के माध्यम से अथवा विदेशी बैंकों की भारतीय उपस्थिति के साथ बैक टू बैक आधार पर घरेलू बाजार से संपर्क कर सकता है |

टिप्पणी : जो स्टार्ट अप कंपनिया विदेशी मुद्रा में ईसीबी जुटा रही हैं, उनके पास स्वाभाविक प्रतिरक्षा हो या न हो, विनिमय दर में होनेवाले परिवर्तनों के कारण उनको हमेशा मुद्रा जोखिम का खतरा बना रहता है | अत: उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाता है कि उनके पास अपनी एक यथोचित जोखिम प्रबंधन नीति हो ताकि वे ईसीबी से पैदा हो सकनेवाली किसी संभाव्य जोखिम से अपना बचाव कर सके |

2.23.13 परिवर्तन दर: भारतीय रुपयों में उधार लिये जाने के मामले में विदेशी मुद्रा - भारतीय रुपया रूपांतरण करार की तारीख को प्रचलित दर के अनुसार किया जाएगा |

2.23.14 अन्य प्रावधान: ईसीबी की राशियों का निवेश, रिपोर्टिंग की व्यवस्था, एडी बैंकों को प्रत्यायोजित शक्तियां, जिनकी जांच चल रही है ऐसी संस्थाओं द्वारा उधार लेना, ईसीबी का इक्विटी में रूपांतरण जैसे अन्य प्रावधान उपर्युक्त पैरा 2.20 में यथा उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों के अनुसार ही होंगे | तथापि, लीवरेज अनुपात और ईसीबी देयता: इक्विटी अनुपात संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे |

3. विदेशों में रुपयों में मूल्य वर्गित बॉण्ड जारी करने के लिए ढांचा

3.1 उधार का स्वरूप: विदेशों में रुपयों में मूल्यवर्गित बॉण्ड जारी करने का ढांचा पात्र निवासी संस्थाओं को विदेशों में प्लेन वनीला रुपया मूल्यवर्ग के बॉण्ड जारी करने के लिए सक्षम बनाता है जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल [एफएटीएफ] अनुपूरक वित्तीय केन्द्रों में जारी किये गये हों | ऐसे बॉण्ड मेजबान देश की विनियमावली के अनुसार निजी रूप से बेचे जा सकते हैं अथवा उनके शेयर बाजार पर सूचीबद्ध किये जा सकते हैं |

3.2 उधार लेने के लिए उपलब्ध मार्ग[38] और सीमाएं: [39]पात्र भारतीय संस्थाओं द्वारा ऐसे बॉन्ड जारी करके उधर जुटाने के किसी भी प्रस्ताव को एडी बैंक के माध्यम से अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत जांच करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय मुंबई को प्रेषित किया जाना चाहिए। यदि रिज़र्व बैंक प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करता है तो उधारकर्ता संस्था ऋण पंजीकरण नंबर (एलआरएन) प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी तथा सूचना प्रबंध विभाग से संपर्क करे। [40], [41], [42]

3.3 रुपया मूल्यवर्ग के बॉण्ड जारी करते हुए उधार लेने के लिए मानदंड: विदेशों में रुपया मूल्यवर्ग के बॉण्ड जारी करते हुए उधार लेने के ढाँचे के भीतर विभिन्न मानदंड नीचे दिये जा रहे हैं :

---

[38] दिनांक 7 जून 2017 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं.47 के जरिये हटाया गया

[39] दिनांक 7 जून 2017 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं.47 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[40] दिनांक 7 जून 2017 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं.47 के जरिये हटाया गया

[41] दिनांक 13 अप्रैल 2016 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं.60 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[42] दिनांक 22 सितम्बर 2017 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं.6 के जरिये हटाया गया

3.3.1 न्यूनतम परिपक्वता: [43]प्रति वित्तीय वर्ष भारतीय रुपये में 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य राशि तक जुटाये गए रुपये में मूल्यवर्गित बॉन्ड के लिए न्यूनतम परिपक्वता अवधितीन वर्षों की होगी तथा प्रति वित्तीय वर्ष भारतीय रुपये में 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य राशि से अधिक राशि के जुटाये गए बॉन्ड की 5 वर्ष.[44]। यदि कोई कॉल और पुट विकल्प हों तो उनका न्यूनतम परिपक्वता समाप्त होने से पहले प्रयोग नहीं किया जा सकता |

3.3.2 पात्र उधारकर्ता: कोई भी कंपनी अथवा निगमित निकाय ऐसे बॉण्ड जारी करने के लिए पात्र है | सेबी के विनियामक ढाँचे के अंतर्गत आनेवाले आरईटीआई और आईएनवीआईटी भी इसके लिए पात्र हैं |

3.3.2.1 पात्र उधारकर्ता के रूप में भारतीय बैंक: [45]भारतीय बैंक भी `बासेल III पूंजी विनियमावली' पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र डीबीआर.सं बीपी.बीसी.1/21.0.201/2015-2016 और `बैंकों द्वारा दीर्घावधि बॉण्ड जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश- बुनियादी सुविधाओं का तथा सस्ते आवासों के लिए वित्तपोषण' पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 15 जुलाई 2014 के परिपत्र डीबीओडी.सं बीपी.बीसी.25/08.12.014/2014-15 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने की शर्त पर निम्नलिखित लिखतों के माध्यम से विदेशों में रुपया मूल्य वर्ग के बॉण्ड जारी करने के लिए पात्र होंगे:

i. अतिरिक्त टायर 1 पूंजी के रूप में शामिल किये जाने के लिए योग्य स्थायी ऋण लिखत [पीडीआई] और अतिरिक्त टायर 2 पूंजी के रूप में शामिल किये जाने के लिए योग्य ऋण पूंजी लिखत: और

ii. बुनियादी सुविधाओं और सस्ते घरों के लिए विदेशों में रुपया मूल्य वर्ग के दीर्घावधि बॉण्ड

3.3.3 मान्यता प्राप्त निवेशक: [46]रुपया मूल्यवर्ग के बॉण्ड **केवल** ऐसे देश में ही जारी किये जा सकते हैं और **केवल** ऐसे देश के निवासी व्यक्ति ही उनमें अपना अभिदान दे सकते हैं, जो:

i. जो देश वित्तीय कार्रवाई कार्य बल [एफएटीएफ] का सदस्य है अथवा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल [एफएटीएफ] जैसे ही किसी अन्य क्षेत्रीय निकाय का सदस्य है: **और**

ii. जिसका प्रतिभूति बाजार विनियामक जानकारी साझा करने की व्यवस्था के लिए प्रतिभूति अंतर्राष्ट्रीय संगठन आयोग के [IOSCO's] बहु पक्षीय समझौते के ज्ञापन का हस्ताक्षरी है [परिशिष्ट ए के हस्ताक्षरी] अथवा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड [सेबी] द्विपक्षीय समझौते के ज्ञापन के हस्ताक्षरी हैं; **और**

---

[43] दिनांक 7 जून 2017 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं.47 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[44] दिनांक 7 जून 2017 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं.47 के जरिये हटाया गया

[45] दिनांक 3 नवंबर 2016 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं.14 के जरिये हटाया गया

[46] दिनांक 13 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 60 के जरिये बदला गया | इस प्रकार बदले जाने से पहले उसे ऐसे पढ़ा जाता था " एफए टीएफ अनुरूप कार्यक्षेत्र से कोई भी निवेशक इस ढाँचे के अंतर्गत जारी किये गये बांडों में निवेश कर सकता है |"

iii. वह वित्तीय कार्रवाई कार्य बल [एफएटीएफ] द्वारा सार्वजनिक विवरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हुआ देश नहीं हो :

(i) ऐसा कार्य क्षेत्र जिसका रणनीतिगत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथवा आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण का मुकाबला करने में कमियाँ होने के कारण उसके लिए प्रति उपाय करने की आवश्यकता पैदा हो गयी है अथवा

(ii) ऐसा कार्यक्षेत्र जिसने इन कमियों को हटाने के लिए कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाये हैं अथवा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की सहायता से इन कमियों को हटाने के लिए कोई योजना नहीं बनायी है

[47]साथ ही जहां भारत एक सदस्य देश है ऐसी बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं को भी मान्यताप्राप्त निवेशक समझा जाएगा।

[48]तथापि Ind- AS 24 में दिये गए अर्थ के अनुसार संबंधित पार्टी ऐसे बॉन्ड में अंशदान अथवा निवेश नहीं कर सकती है और न ही उन्हें खरीद सकती है। भारतीय बैंक [49]लागू विवेकपूर्ण मानदंडों की शर्त पर व्यवस्थापक और हामीदार के रूप में काम कर सकता है| यदि कोई भारतीय बैंक किसी निर्गम के लिए हामी भर रहा है तो उसकी धारिता निर्गम जारी होने के 6 महीने बाद उस निर्गम की राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। [50]तथापि, भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / उप कार्यालयों द्वारा भारतीय बैंकों के निर्गम के लिए हामीदारी की अनुमति नहीं है.

3.3.4 समग्र लागत All-in-Cost: [51]ऐसे बॉन्ड के लिए समग्र लागत तदनुरूपी परिपक्वता वाली भारत सरकार की प्रतिभूति के प्रचलित प्रतिफल से [52]450 आधार अंक अधिक होगी ।

3.3.5 [53]अंतिम उपयोग प्रिस्क्रिप्शन: उधार ली गयी राशि का उपयोग निम्नलिखित बातों को छोड़ कर अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है :

i. सर्व समेकित टाउनशिप / सस्ती आवासीय परियोजना को छोड़ कर रियल इस्टेट की गतिविधियाँ ;

ii. पूंजी बाजार में निवेश के लिए और उससे प्राप्त राशि का घरेलू इक्विटी में निवेश करने के लिए;

iii. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए;

iv. अन्य संस्थाओं को ऊपर दिये गये किसी भी प्रयोजन को ऋण देने के लिए; और

v. जमीन की खरीद के लिए

3.3.6 रुपांतरण के लिए विनिमय दर : विदेशी मुद्रा-रुपये के रुपांतरण के लिए विनिमय की दर वह होगी जो बॉण्ड जारी करने और उसकी सर्विसिंग के लिए किये जाने वाले लेनदेन के निपटान की तारीख को प्रचलित हो|

---

[47] दिनांक 16 फरवरी 2016 के एपी [डीआईआर् शृंखला] परिपत्र सं 14 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया |

[48] दिनांक 7 जून 2017 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं.47 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[49] दिनांक 03 नवम्बर 2016 के एपी [डीआईआर् शृंखला] परिपत्र सं 14 के जरिये " इन बांडों से संपर्क नहीं कर पाएगा लेकिन " शब्दों को हटा दिया गया है |

[50] दिनांक 03 नवम्बर 2016 के एपी [डीआईआर् शृंखला] परिपत्र सं 14 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया |

[51] दिनांक 7 जून 2017 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं.47 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[52] दिनांक 27 अप्रैल 2018 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं.25 के जरिये आशोधित किया गया। आशोधन से पूर्व इसे "300" पढ़ा जाता था।

[53] दिनांक 7 जून 2017 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं.47 के जरिये हटाया गया

3.3.7 प्रतिरक्षा [Hedging]: विदेशी निवेशक भारतीय रुपयों में अपने एक्सपोजर की भारत में एडी श्रेणी-I बैंक के अनुमत डेरिवेटिव् उत्पादों के माध्यम से प्रतिरक्षा कर सकेगा | वह ऋण दाता भारत के बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं / उप कार्यालयों के माध्यम से अथवा विदेशी बैंकों की भारतीय उपस्थिति के साथ बैक टू बैक आधार पर घरेलू बाजार से संपर्क कर सकता है |

3.3.8 लीवरेज अनुपात: इस ढाँचे के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा यदि कोई उधार लिये जाते हैं तो वे विवेक पूर्ण मानदंडों के अनुसार सेक्टरल विनियामक द्वारा निर्धारित लीवरेज अनुपात की शर्त पर होंगे |

[54], [55]

3.3.9[56] अन्य प्रावधान: उपर्युक्त पैरा 2 के अंतर्गत दिये गये ईसीबी ढाँचे के अन्य प्रावधान, [57]एलआरएन प्राप्त करना, [58]रिपोर्टिंग**,** प्राप्त राशियों का निवेश करना, इक्विटी में निवेश करने के लिए गारंटी/ जमानत, इक्विटी में रूपांतरण जांच के दायरे में आयी कंपनिया आदि विदेशों में रुपया मूल्य वर्ग के बांडों के निर्गम संबंधी ढाँचे के अंतर्गत लिये जानेवाले उधारों पर लागू होंगे | [59]जो उधारकर्ता विदेशों में रुपया मूल्यवर्गित बॉण्ड जारी कर रहा है उसे करार /प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज में एक ऐसा खंड जोड़ना होगा जिससे वह प्राथमिक बॉण्ड धारकों की सूची प्राप्त कर सके और वह सूची भारत में विनियामक प्राधिकारियों को जब आवश्यकता हो तब उपलब्ध करा सके | उस करार / प्रस्ताव दस्तावेज में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि ये बॉण्ड आईओएससीओ / एफएटी एफ कार्यक्षेत्र की अपेक्षाओं का अनुपालन किये जाने की शर्त पर ही बेचे / अंतरित किये / विदेशों में जमानत के रूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे |

भाग II

4. विदेशों में जुटायी गयी निधियों का मार्गक्रमण [Routing] यह नोट किया जाए कि:

i. भारतीय कंपनियां अथवा उनके प्राधिकृत व्यापारियों को संबंधित विनियामावली में स्पष्ट रूप से अनुमत प्रयोजनों को छोड़ कर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई गारंटी जारी करने की अथवा प्रासंगिक देनदारी [contingent liability] पैदा करने की अथवा उनकी विदेशी होल्डिंग्ज/ एसोसिएट/ सहयोगी/ समूह

---

[54] दिनांक 13 अप्रैल 2016 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं.60 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया

[55] दिनांक 22 सितम्बर 2017 के एपी [डी आईआर शृंखला] परिपत्र सं.6 के जरिये हटाया गया

[56] दिनांक 13 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं 60 के जरिये प्रतिस्थापित किया गया |

[57] दिनांक 13 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 60 के जरिये हटाया गया | *हटाये जाने से पहले उसे इस प्रकार पढ़ा जाता था "रिपोर्टिंग " नया पैरा 3.3.9 जोड़े जाने के बाद मौजूदा पैरा को 3.3.10 संख्या दी गयी |*

[58] दिनांक 22 सितंबर 2017 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं 6 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया |

[59] दिनांक 13 अप्रैल 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं 60 के जरिये जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया |

कंपनियों द्वारा किसी भी रूप में जुटाये गये उधारों के लिए कोई जमानत प्रदान करने की अनुमति नहीं है |

ii. साथ ही, ऊपर (i) में किये गये उल्लेख के अनुसार भारतीय कंपनियों के विदेशी होल्डिंग्ज / एसोसिएट / सहयोगी / समूह कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों की सहायता से अथवा उनके प्राधिकृत व्यापारियों की सहायता से किसी भी रूप में जुटायी गयी निधियों का जब तक वे निधियां संबंधित विनियमावली के अंतर्गत प्रदान की गयी सामान्य अथवा विशिष्ट विनियमावली के अनुरूप नहीं है तब तक भारत में उपयोग नहीं किया जा सकता |

iii. भारतीय कंपनिया अथवा उनके प्राधिकृत व्यापारी जो ऐसे ढांचों का उपयोग कर रहे हैं अथवा ऐसी संरचनाओं को स्थापित कर रहे हैं जो ऊपरोल्लिखित बातों का उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध फेमा के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी |

भाग III 5. व्यापार उधार के रूप में ऋण जुटाना

5.1 व्यापार उधार: व्यापार उधार का अर्थ है भारत में आयात करने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा पांच वर्षों तक की परिपक्वता अवधि के लिए दिये गये उधार | वित्त के स्रोत के आधार पर ऐसे व्यापार उधारों में आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया उधार अथवा खरीदार को दिये गये उधार शामिल हैं | आपूर्तिकर्ता को दिये गये उधारों का अर्थ विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा भारत में आयात करने के लिए दिया गया उधार है जबकि खरीदार को दिये गये उधार का अर्थ है को भारत में किये गये आयात का भुगतान करने के लिए विदेशी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से आयातक द्वारा योजित ऋण | आयात विदेशी व्यापार महानिदेशालय [डीजीएफटी] की मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अनुमत किया जाना चाहिए |

5.2 व्यापार उधार के मार्ग और राशि: व्यापार उधार जुटाने के लिए उपलब्ध मार्ग नीचे दिये जा रहे हैं:

5.2.1 स्वचालित मार्ग: प्राधिकृत व्यापारियों को गैर पूंजीगत और पूंजीगत सामान का आयात करने के लिए प्रति आयात लेनदेन के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि के व्यापार उधार को अनुमोदन प्रदान करने की अनुमति दी गयी है |

5.2.2 अनुमोदन मार्ग: गैर-पूंजीगत और पूंजीगत सामान का आयात करने के ऐसे प्रस्तावों पर, जिनमें प्रति आयात लेनदेन के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक राशि निहित है**,** भा.रि.बैंक विचार करता है |

5.3 परिपक्वता प्रिस्क्रिप्शन: व्यापार उधार के लिए परिपक्वता प्रिस्क्रिप्शन स्वचालित और अनुमोदन दोनों ही मार्गों के लिए एक समान ही है | गैर पूंजीगत सामान के लिए परिपक्वता अवधि शिपमेंट की तारीख से अथवा परिचालन की साईकिल जो भी कम हो, की तारीख से एक वर्ष की है तो पूंजीगत सामान के लिए यह परिपक्वता अवधि शिपमेंट की तारीख से पांच वर्ष तक है | पांच वर्षों के व्यापार उधार के लिए एब इनिशियो करार [ab-initio contract] की अवधि 6 [छ महीने] महीनों की होनी चाहिए |

इस अनुमत अवधि के लिए कोई रोल ओवर अथवा समय विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा |

5.4 व्यापार उधार जुटाने की लागत: व्यापार उधार जुटाने की समग्र लागत की उच्चतम सीमा लिबोर के 6 माह से ऊपर 350 बेसिस पॉइंट होगी | [उधार की संबंधित मुद्रा के लिए अथवा लागू बेंच मार्क] इस समग्र लागत में ऐसे उधार की व्यवस्था करनेवाले की फीस, प्रारंभिक शुल्क, प्रबंधन फीस, उसपर कार्रवाई / प्रक्रिया करने के प्रभार, फुटकर व्यय और / कानूनी व्यय, यदि कोई हों आदि शामिल होंगे |

5.5 व्यापार उधार के लिए गारंटी: एडी श्रेणी-I बकों को गैर पूंजी गत सामान के आयात के मामले में [सोना, पलाडियम, प्लैटिनम, रोडियम, चांदी को छोड़ कर] एक वर्ष की अधिकतम अवधि तक विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में प्रति आयात लेनदेन के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक गारंटियां /[60] जारी करने की अनुमति है | पूंजीगत सामान के आयात के लिए प्राधिकृत व्यापारी गारंटी[61] अवधि अधिकतम तीन वर्षों तक हो सकती है | शिपमेंट की तारीख से इस अवधि को हिसाब में लिया जाएगा और गारंटी की अवधि ऋण की अवधि से को टर्मिनस होनी चाहिए | [62]साथ ही, बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा गारंटियों तथा सह-स्वीकृतियों पर समय-समय पर संशोधित दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र सं.डीबीआर.सं.डीआईआर बीसी.11/13.03.00/2015-16 में निहित प्रावधानों के अनुपालन के अधीन इस प्रकार की गारंटियां जारी की जा सकेंगी |

5.6 रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं: व्यापार उधार के लेनदेन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किये जाएंगे:

5.6.1 मासिक रिपोर्टिंग : एडी श्रेणी-I बैंकों को एक माह के दौरान उसकी सभी शाखाओं द्वारा दिये गये अनुमोदन, आहरण, उपयोग, और व्यापार उधार की चुकौती के बारे में एक समेकित विवरण फार्म टीसी में [और एम् एस एक्सेल फाईल में ई मेल के जरिये] निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त प्रभाग, आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई- 400 001 को रिपोर्ट करनी

[60] दिनांक 13 मार्च 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 20 के जरिये हटाया गया |
[61] दिनांक 13 मार्च 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 20 के जरिये हटाया गया |
[62] दिनांक 13 मार्च 2018 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 20 के जरिये हटाया गया |

होगी जो अगले माह के 10 तारीख से पहले उनके पास पहुँच जानी चाहिए | प्रत्येक व्यापार उधार को एडी बैंक द्वारा एक अलग विशिष्ट पहचान संख्या दी जानी चाहिए | फार्म टीसी का प्रारूप मास्टर निदेश -विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट करना-के भाग V के अनुबंध IV में संलग्न किया गया है |

5.6.2. त्रैमासिक रिपोर्टिंग: एडी श्रेणी-I बैंकों को उसकी सभी शाखाओं द्वारा जारी की गयी गारंटियां / वचनपत्र / कम्फर्ट पत्र का एक समेकित विवरण त्रैमासिक आधार पर [और एम् एस एक्सेल फाईल में ई मेल के जरिये] विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, 11 वीं मंजिल, फोर्ट, मुंबई- 400 001 को रिपोर्ट करनी होती है जो अगले माह के 10 तारीख से पहले उनके पास पहुँच जानी चाहिए |

इस विवरण का प्रारूप मास्टर निदेश-विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट करना-के भाग V के अनुबंध IV में संलग्न किया गया है |

भाग IV 6. प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेना और ऋण देना

6.1 प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेना: भारत का कोई भी प्राधिकृत व्यापारी निम्नलिखित स्थितियों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन विदेशी मुद्रा में उधार ले सकता है:

i. ऐसा उधार प्राधिकृत व्यापारी के भारत के बाहर का प्रधान कार्यालय, उसकी शाखा, अथवा उसके विदेशी प्रतिनिधि अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य संस्था से लिया जाता है |

ii. प्राधिकृत व्यापारी की समस्त शाखाओं की सभी अनुमत स्रोतों से जुटायी गयी उधार की पूरी राशि प्राधिकृत व्यापारी के अछूते [unimpaired] टायर I पूंजी के सौ प्रतिशत तक अथवा भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित अन्य किसी सीमा तक अथवा 10 मिलियन अमरीकी डॉलर तक, जो भी अधिक हो, होनी चाहिए |

iii. प्राधिकृत व्यापारी की भारत के बाहर स्थित शाखा भारत के बाहर अपने बैंकिंग कारोबार के दौरान सामान्य परिपाटी के रूप में भा.रि.बैंक द्वारा और जहां वह शाखा स्थित है उस देश के विनियामक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों, अथवा दिशानिर्देशों के अधीन ऐसा उधार ले सकती है |

iv. प्राधिकृत व्यापारी भारत में स्थित अपने निर्यातक को पोत लदान पूर्व अथवा पोतलदानोत्तर [pre-shipment or post-shipment] ऋण प्रदान करने के लिए भारत के बाहर स्थित किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से उधार ले सकता है |

v. ऐसे उधार रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विवेकपूर्ण मानदंडों,ब्याज दर संबंधी निदेशों, और दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अधीन होंगे |

6.2 प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार: भारत में प्राधिकृत व्यापारी अथवा उसकी विदेश में स्थित शाखा निम्नलिखित स्थितियों में और नीचे उल्लेख की गयी शर्तों पर विदेशी मुद्रा में उधार दे सकते हैं :

i. प्राधिकृत व्यापारी की विदेश में स्थित शाखा भारत के बाहर अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार के रूप में ऐसा ऋण दे सकती है;

ii. प्राधिकृत व्यापारी भारत के अपने घटकों को उनकी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अथवा उनकी रुपया कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अथवा पूंजी व्यय के लिए ऐसा ऋण दे सकता है;

iii. किसी भारतीय कंपनी की विदेश में स्थित पूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी संस्था अथवा संयुक्त उद्यम को भी ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं बशर्ते ऐसी पूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी संस्था अथवा संयुक्त उद्यम में 51 प्रतिशत से अन्यून इक्विटी भारत की कंपनी के पास हो और दी गयी ऋण सुविधाएं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम [विदेशी प्रतिभूति अंतरण और निर्गम] विनियमावली, 2000 के अनुसरण में जारी की गयी हो;

iv. जो घटकक आरएफसी खाता बनाये रखते हैं उन्हें ऐसे खातों में रखी गयी राशि की जमानत परऋण प्रदान किया जा सकता है;

v. प्राधिकृत व्यापारी अथवा भारत के बाहर स्थित उसकी शाखा एन आर ई / एफ सी एन आर [बी] जमा खाते में स्थित राशि की जमानत पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन [जमाराशियां] विनियमावली, 2000 के अनुसार ऋण प्रदान कर सकते हैं;

vi. प्राधिकृत व्यापारी किसी दूसरे प्राधिकृत व्यापारी को ऋण प्रदान कर सकता है;

vii. किसी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अथवा भारत के बाहर स्थित उसकी किसी शाखा द्वारा प्रदान की गयी उधार की सुविधाएं विवेकपूर्ण मानदंड, ब्याज दर संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय जारी किये गये निदेश और दिशानिर्देशों का अनुपालन किये जाने की शर्त के अधीन होगी |

भाग V 7. प्राधिकृत व्यापारियों से इतर व्यक्तियों द्वारा उधार और ऋण

7.1 प्राधिकृत व्यापारियों से इतर व्यक्तियों द्वारा उधार: प्राधिकृत व्यापारियों इतर व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार किन परिस्थितियों में और किन शर्तों पर लिया जा सकता है, उसका उल्लेख नीचे किया गया है:

i. **भारत के बाहर की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और आस्थगित भुगतान की शर्तों पर निर्यात करने के लिए**: भारत का निवासी व्यक्ति ऋण अथवा ओवर ड्राफ्ट अथवा अन्य किसी ऋण सुविधा के माध्यम से भारत के बाहर स्थित किसी बैंक से तैयारशुदा [टर्न की] परियोजना अथवा कोई सिविल निर्माण ठेके को पूरा करने के लिए अथवा आस्थगित भुगतान की शर्तों पर निर्यात करने के लिए ऋण ले सकता है बशर्ते जिस प्राधिकारी ने उस परियोजना को अथवा ठेके को या निर्यात को अनुमोदन दिया है उसके द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें विदेशी मुद्रा प्रबंधन [वस्तु और सेवाओं का निर्यात] विनियमावली, 2000 के अनुसार हैं |

ii. **आयात के लिए**: भारत का कोई आयातक भारत में आयात करने के लिए छ: महीनों से अनधिक अवधि के लिए सामान के विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विदेशी मुद्रा का उधार ले सकता है, बशर्ते वह आयात भारत की प्रचलित निर्यात आयात नीति के अनुसरण में हो |

iii. **निवासी व्यक्तियों द्वारा उधार**: भारत का कोई निवासी व्यक्ति भारत के बाहर अपने नजदीकी रिश्तेदार से 250,000/- अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अनधिक राशि तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन उधार ले सकता है :

   a. उस ऋण की न्यूनतम परिपक्वता अवधि एक वर्ष की हो;

   b. वह ऋण ब्याज मुक्त हो; और

   c. ऋण की राशि सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से मुक्त विदेशी मुद्रा में आतंरिक विप्रेषण से अथवा उस अनिवासी ऋण दाता के एनआरई / एफसीएनआर खाते में डेबिट करते हुए प्राप्त की गयी हो |

7.2 प्राधिकृत व्यापारियों से इतर व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार देना: प्राधिकृत व्यापारियों से इतर व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार किन परिस्थितियों में और किन शर्तों पर दिया जा सकता है, उसका उल्लेख नीचे किया गया है:

i. **पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों को उधार देना** : कोई भारतीय संस्था विदेशी मुद्रा प्रबंधन [विदेशी प्रतिभूति अंतरण अथवा निर्गम] विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में गठित विदेश में स्थित अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था को या संयुक्त उद्यम को उधार दे सकती है |

ii. **चुनिंदा संस्थाओं द्वारा उधार देना** :भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि., भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लि. अथवा भारत में स्थित कोई भी अन्य संस्था भारत में केंद्र सरकार के अनुमोदन से अपने द्वारा आगे ऋण देने के प्रयोजन से जुटायी गयी विदेशी मुद्रा उधारों की राशियों में से अपने घटकों को उधार दे सकते हैं |

iii. **भारतीय कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को उधार देना** : भारत में स्थित भारतीय कंपनियाँ भारत के बाहर स्थित अपनी शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए ऋण दे सकती हैं, बशर्ते ऐसा ऋण उस ऋणदाता की स्टाफ कल्याण योजना / ऋण नियमावली के अनुसार तथा भारत में और विदेशों में निवासी स्टाफ के लिए लागू शर्तों के अधीन वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए दिया गया हो।

भाग VI 8. स्ट्रक्चर्ड दायित्व [ऑब्लिगेशन]

8.1 घरेलू निधि आधारित और गैर निधि आधारित सुविधाओं के लिए अनिवासी गारंटी: दो निवासियों के बीच भारतीय रुपयों में ऋण लेने और देने के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होता | ऐसे मामलों में जहां रुपया सुविधाएं, जो या तो निधि आधारित हैं, या फिर गैर निधि आधारित, [जैसे साख पत्र, / गारंटी / वचन पत्र / कम्फर्ट पत्र] या फिर निवासियों द्वारा जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहयोगी कंपनियां हैं, किये गये डेरिवेटिव्ज करार के रूप में हैं, और जिसकी गारंटी अनिवासी व्यक्ति ने दी है [डेरिवेटिव्ज करार के मामले में अनिवासी समूह संस्था] ऐसे मामले तब तक कोई विदेशी मुद्रा का लेनदेन शामिल नहीं होता जब तक गारंटी को लागू नहीं किया जाता है और अनिवासी गारंटर को उस गारंटी के अंतर्गत पैदा हुई देयता को पूरा करना पड़ता है | यह व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों पर की जाएगी:

i. अनिवासी गारंटर अपनी देयता को इस प्रकार पूरा कर सकता है i) भारत में स्थित रुपया शेष में से भुगतान करते हुए अथवा ii) भारत में निधियों का विप्रेषण करते हुए अथवा iii) भारत में एडी बैंक के पास स्थित उसके एफसीएनआर [बी] / एनआरई खाते में डेबिट करते हुए;

ii. ऐसे मामलों में अनिवासी गारंटर उस राशि को वसूल करने के लिए निवासी उधारकर्ता के विरुद्ध दावा ठोक सकता है और उसकी वसूली हो जाने पर वह यदि ऐसी देयता को आतंरिक विप्रेषण करते हुए अथवा एफसीएनआर [बी] / एनआरई खाते में डेबिट करते हुए चुकाया गया हो तो उस राशि का प्रत्यावर्तन करने की अपेक्षा कर सकता है | तथापि, जहां रुपयों की शेष राशि में से भुगतान करते हुए ऐसी देयता की चुकौती की गयी हो वहां वसूल की गयी राशि उस अनिवासी गारंटर के एनआरओ खाते में जमा की जा सकती है |

iii. किसी निवासी व्यक्ति को मुख्य ऋणी के नाते भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को, जिसने उस गारंटी के अंतर्गत पैदा हुई अपनी देयता को पूरा किया है, भुगतान करने के लिए सामान्य अनुमति उपलब्ध है|

iv. जहां अनिवासी व्यक्ति ने भारत में राशियाँ विप्रेषित करके अपने एफसीएनआर [बी] / एनआरई खाते में डेबिट करते हुए अपनी देयता को चुकाया है ऐसे मामले में उसका पुनर्भुगतान गारंटर के एफसीएनआर [बी] / एनआरई / एनआरओ खाते में जमा करते हुए किया जा सकता है बशर्ते, विप्रेषित / जमा की गयी राशि अनिवासी गारंटर द्वारा लागू की गयी गारंटी की राशि के रुपयों में समतुल्य राशि से अधिक नहीं होती है |

v. एडी श्रेणी-I बैंकों को उनकी सभी शाखाओं द्वारा ली गयी / लागू की गयी गारंटियों के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रधान मुख्य महा प्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग ईसीबी प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय भवन, 11 वीं मंजिल, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को त्रैमासिक अंतरालों पर रिपोर्ट करनी होती है जो वे आंकड़े जिस तिमाही से संबंधित हैं उसके अगले माह की दस तारीख से पहले उनके पास पहुँच जाने चाहिए | .

8.2 ऋण वृद्धि की सुविधाएं: पात्र अनिवासी संस्थाओं द्वारा [जैसे आईएफसी, एडीबी, जैसी आदि बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाएं / क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं और पूर्णत: अथवा अंशत: सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाएं, प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष इक्विटी धारक] घरेलू ऋण जो पूंजी बाजार लिखत, जैसे रुपया मूल्य वर्ग के बॉण्ड या डिबेंचर जारी करते हुए जुटाया गया हो उसे बढाने की सुविधाएं स्वचालित मार्ग से ईसीबी जुटाने के लिए पात्र सभी उधारकर्ताओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध हैं:

i. आधारभूत ऋण लिख़त की औसत परिपक्वता अवधि न्यूनतम तीन वर्ष होनी चाहिए ;

ii. ऐसे पूंजी बाजार के लिखतों के लिए समय से पूर्व चुकौती और कॉल / पुट विकल्प की न्यूनतम तीन वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि तक अनुमति नहीं है;

iii. ऋण वृद्धि के संबंध में गारंटी फीस और अन्य लागत उसमें निहित मूल राशि के अधिकतम 2 प्रतिशत तक सीमित होगी;

iv. ऋण वृद्धि लागू किये जाने के बाद यदि गारंटर उस देयता को पूरा करता है और यदि उसकी चुकौती विदेशी मुदा में करने के लिए पात्र अनिवासी संस्था को अनुमति दी गयी है तो समग्र लागत की उच्चतम सीमा, जो मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित व्यापार उधार / ईसीबी की परिपक्वता अवधि के लिए लागू है वह नवीकृत [novated] ऋण पर भी लागू है;

v. यदि पुनर्भुगतान में चूक हो और वह ऋण भारतीय रुपयों में चुकाया गया हो तो लागू ब्याज दर बांडों के कूपन अथवा ऋण के नवीकरण [novation] की तारीख को भारत सरकार की प्रतिभूति के 5 वर्षों की प्रचालित गौण बाजार की आय के ऊपर 250 बीपीएस पॉइंट, इनमें से जो भी अधिक हो के समतुल्य होगी;

vi. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया - बुनियादी सुविधा वित्त कंपनियाँ, जो ऋण वृद्धि सुविधा का लाभ उठाने का प्रस्ताव कर रहीं हैं उन्हें दिनांक 12 फरवरी 2010 के परिपत्र डीएनबीएस.पीडी.सीसी.सं 168/ 03.02.089/2009-10 में निर्धारित पात्रता मानदंडो का और विवेकपूर्ण मानदंडो का अनुपालन करना होगा | और यदि नवीकृत [novated] ऋण विदेशी मुद्रा में लिया गया हो तो आईएफसी को उस पूरे विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की प्रतिरक्षा [हेज] करनी होगी; और

vii. ईसीबी के लिए लागू रिपोर्टिंग की व्यवस्था इन नवीकृत [novated] ऋणों पर भी लागू होगी |

इस मास्टर निदेश में समेकित की गयी अधिसूचनाओं / परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	अधिसूचना	तारीख
1	फेमा .3/2000- आरबी	03 मई 2000
2	फेमा.60/2002- आरबी	29 अप्रैल 2002
3	फेमा.75/2002- आरबी	01 नवम्बर 2002
4	फेमा.80/2003- आरबी	08 जनवरी 2003
5	फेमा.82/2003- आरबी	10 जनवरी 2003
6	फेमा.112/2004- आरबी	06 मार्च 2004
7	फेमा 126/2004- आरबी	13 दिसंबर 2004
8	फेमा 127/2005- आरबी	5 जनवरी 2005
9	फेमा 142/2005- आरबी	6 दिसंबर 2005
10	फेमा 157/2007- आरबी	30 अगस्त 2007
11	फेमा.182/2009- आरबी	13 जनवरी 2009
12	फेमा.194/2009- आरबी	17 जून 2009
13	फेमा.197/2009- आरबी	22 सितम्बर 2009
14	फेमा.232/2012- आरबी	30 मई 2012
15	फेमा 245/2012- आरबी	12 नवम्बर 2012
16	फेमा 246/2012- आरबी	27 नवम्बर 2012
17	फेमा.250/2012- आरबी	06 दिसंबर 2012
18	फेमा.256/2013- आरबी	6 फरवरी 2013
19	फेमा.270/2013- आरबी	19 मार्च 2013
20	फेमा.281/2013- आरबी	19 जून 2013
21	फेमा.286/2013- आरबी	5 सितम्बर 2013
22	फेमा.288/2013- आरबी	26 सितम्बर 2013
23	फेमा.358/2015- आरबी	02 दिसंबर 2015
24	फेमा.8/2000- आरबी	03 मई 2000
25	फेमा.129/2005- आरबी	20 जनवरी 2005
26	फेमा.206/2012- आरबी	01 जून 2010
27	फेमा.251/2012- आरबी	06 दिसंबर 2012
28	फेमा.269/2013- आरबी	11 मार्च 2013
29	फेमा 120/2004- आरबी	07 जुलाई 2004
30	फेमा.188/2009- आरबी	03 फरवरी 2009
31	फेमा.231/2012- आरबी	30 मई 2012
32	फेमा.359/2015- आरबी	02 दिसंबर 2015
क्रम सं.	**परिपत्र**	**तारीख**
1	ए.डी. [एम् ए] 11	16 मई 2000

2	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 41	29 अप्रैल 2002
3	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 29	18 अक्तूबर 2003
4	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 60	31 जनवरी 2004
5	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 75	23 फरवरी 2004
6	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 82	1 अप्रैल 2004
7	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 87	17 अप्रैल 2004
8	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 15	1 अक्तूबर 2004
9	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 24	1 नवम्बर 2004
10	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 40	25 अप्रैल 2005
11	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 5	1 अगस्त 2005
12	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 15	4 नवम्बर 2005
13	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 23	23 जनवरी 2006
14	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 34	12 मई 2006
15	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 17	4 दिसम्बर 2006
16	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 44	30 अप्रैल 2007
17	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 60	21, मई 2007
18	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 04	7 अगस्त 2007
19	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 10	26 सितम्बर 2007
20	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 42	28 मई 2008
21	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 43	29 मई 2008
22	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 46	2 जून 2008
23	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 1	11 जुलाई 2008
24	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 16	22 सितम्बर 2008
25	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 17	23 सितम्बर 2008
26	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 20	8 अक्तूबर 2008
27	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 26	22 अक्तूबर 2008
28	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 27	27 अक्तूबर 2008
29	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 39	8 दिसंबर 2008
30	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 46	2 जनवरी 2009
31	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 58	13 मार्च 2009
32	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 64	28 अप्रैल 2009
33	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 65	28 अप्रैल 2009
34	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 71	30 जून 2009
35	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 19	9 दिसंबर 2009
36	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 28	25 जनवरी 2010
37	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 33	9 फरवरी 2010
38	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 38	2 मार्च 2010
39	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 39	2 मार्च 2010

40	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 40	2 मार्च 2010
41	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 44	29 मार्च 2010
42	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 51	12 मार्च 2010
43	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 04	22 जुलाई 2010
44	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 08	12 अगस्त 2010
45	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 01	04 जुलाई 2011
46	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 11	07 सितम्बर 2011
47	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 25	23 सितम्बर 2011
48	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 26	23 सितम्बर 2011
49	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 27	23 सितम्बर 2011
50	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 28	26 सितम्बर 2011
51	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 29	26 सितम्बर 2011
52	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 30	27 सितम्बर 2011
53	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 44	15 नवम्बर 2011
54	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 51	23 नवम्बर 2011
55	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 52	23 नवम्बर 2011
56	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 59	19 दिसम्बर 2011
57	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 64	05 जनवरी 2012
58	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 69	25 जनवरी 2012
59	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 70	25 जनवरी 2012
60	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 75	07 फरवरी 2012
61	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 85	29 फरवरी 2012
62	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 99	30 मार्च 2012
63	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 100	30 मार्च 2012
64	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 111	20 अप्रैल 2012
65	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 112	20 अप्रैल 2012
66	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 113	24 अप्रैल 2012
67	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 119	07 मई 2012
68	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 134	25 जून 2012
69	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 136	26 जून 2012
70	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 1	5 जुलाई 2012
71	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 20	29 अगस्त 2012
72	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 26	11 सितम्बर 2012
73	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 27	11 सितम्बर 2012
74	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 28	11 सितम्बर 2012
75	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 39	9 अक्तूबर 2012
76	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 40	9 अक्तूबर 2012
77	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 48	6 नवम्बर 2012

78	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 54	26 नवम्बर 2012
79	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 58	14 दिसम्बर 2012
80	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 59	14 दिसम्बर 2012
81	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 60	14 दिसंबर 2012
81	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 61	17 दिसंबर 2012
83	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 63	20 दिसंबर 2012
84	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 69	7 जनवरी 2013
85	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 78	21 जनवरी 2013
86	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 87	5 मार्च 2013
87	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 98	9 अप्रैल 2013
88	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 113	24 जून 2013
89	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 114	25 जून 2013
90	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 115	25 जून 2013
91	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 116	25 जून 2013
92	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 117	25 जून 2013
93	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 119	26 जून 2013
94	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 120	26 जून 2013
95	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 6	8 जुलाई 2013
96	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 9	11 जुलाई 2013
97	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.10	11 जुलाई 2013
98	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.11	11 जुलाई 2013
99	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 12	15 जुलाई 2013
100	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 31	04 सितम्बर 2013
101	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 48	18 सितम्बर 2013
102	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 53	24 सितम्बर 2013
103	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 56	30 सितम्बर 2013
104	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 57	30 सितम्बर 2013
105	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 58	30 सितम्बर 2013
106	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 59	30 सितम्बर 2013
107	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 78	03 सितम्बर 2013
108	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 85	06 जनवरी 2014
109	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 94	16 जनवरी 2014
110	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 105	17 फरवरी 2014
111	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 113	26 मार्च 2014
112	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 121	10 अप्रैल 2014
113	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 122	10 अप्रैल 2014
114	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 128	09 मई 2014
115	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 129	09 मई 2014

116	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 130	16 मई 2014
117	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 16	28 जुलाई 2014
118	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 17	28 जुलाई 2014
119	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 21	27 अगस्त 2014
120	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 25	03 सितम्बर, 2014
121	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 39	21 नवम्बर 2014
122	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 41	25 नवम्बर , 2014
123	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 55	01 जनवरी 2015
124	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 56	06 जनवरी 2015
125	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.64	23 जनवरी 2015
126	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 108	11 जून 2015
127	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 109	11 जून 2015
128	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 13	10 सितम्बर 2015
129	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 17	29 सितम्बर 2015
130	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 32	30 नवम्बर 2015
131	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 56	30 मार्च 2016
132	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 60	13 अप्रैल 2016
133	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 80	30 जून 2016
134	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.. 10	20 अक्तूबर 2016
135	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 13	27 अक्तूबर 2016
136	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 14	03 नवम्बर 2016
137	ए.पी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं. 15	07 नवम्बर 2016
138	ए.पी [डीआईआर सीरीज] परिपत्र सं. 31	16 फरवरी 2017
139	ए.पी [डीआईआर सीरीज] परिपत्र सं. 47	7 जून 2017
140	ए.पी [डीआईआर सीरीज़] परिपत्र सं. 6	22 सितंबर 2017